

केवल षासकीय प्रयोग हेतु

आबकारी विभाग

कार्यपूति दिग्दर्शक



वर्ष

2017दृ 2018

प्राक्कथन

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय, इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिये प्रयुक्त किया जाता है। मादक वस्तुओं के अनौशधीय उपयोग के निशेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण ही आबकारी विभाग के मूल उद्देश्य हैं। साथ ही विभाग का लक्ष्य है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जाये तथा अवैध एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों की बिक्री/उपभोग को हतोत्साहित किया जाये। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्य 19250 करोड़ रुपये के सापेक्ष माह मार्च 2017 तक 14273.42 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 20595 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व अर्जन के साथ-साथ विभाग द्वारा पीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय के एकान्तिक अधिकार के हस्तान्तरण से प्रदेश के राजस्व में आपानुरूप वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर आबकारी नीति में परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रयोगात्मक सुधारों से जहाँ एक ओर राज्य के लिये राजस्व अर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर जनता को गुणवत्ता युक्त मानक मदिरा की प्राप्ति होती है, जिससे जन स्वास्थ्य व जनहित सुरक्षित रहता है।

आशा है कि प्रस्तुत संकलन विभागीय कार्यपूर्ति एवं उपलब्धियों की जानकारी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

अनुक्रमणिका

भाग-1

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	6

2.	नई आबकारी नीति की पृष्ठ भूमि	6
3.	जनस्वास्थ्य व आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सुरक्षा होलोग्राम का प्रयोग	6
4.	प्रदेश में नया पूँजी निवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन	6
	(क) षीरा	6
	(ख) अल्कोहल	6
	(ग) वर्ष 2016-17 की आबकारी नीति में अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु किये गये प्राविधान	7-9
5.	कार्यक्षेत्र	10
6.	विभाग की प्रशासनिक संरचना	10
7.	आबकारी दुकानों की बंदी	10
8.	(क) षीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग	11-12
	(ख) अल्कोहल	13-14
	(ग) पर्यावरण की स्वच्छता	15
	(घ) अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालाएं	15
	(ङ.) अल्कोहल, भांग तथा नारकोटिक पदार्थयुक्त औषधियों की निर्माणशालाएं	16
9.	लाइसेंस नीति एवं कराधान प्रणाली	17
10.	आबकारी दुकानों के सृजन की नीति	17-18
11.	प्रवर्तन कार्य	19
	(क) विशाक्त षराब से होने वाली मौतों की रोकथाम	19
	(ख) स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन	21
12.	प्राविधिक कार्य	21
13.	पावर अल्कोहल से गैसोहाल बनाने की योजना	22
14.	आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालाएं	23
15.	आडिट अनुभाग	23
16.	विधिक कार्य	24
17.	विभाग में ई-गवर्नेंस	25
18.	विभागीय आय-व्ययक	26
19.	विभाग की राजस्व प्राप्तियों का विवरण	26

भाग-2 परिशिष्ट

क्र०सं०	परिशिष्ट संख्या	विशय	पृष्ठ सं०
---------	-----------------	------	-----------

1.	परिषिष्ट संख्या-1	विभाग की प्रशासनिक संरचना	27
2.	परिषिष्ट संख्या-2	मुख्यालय की कार्यकारी संरचना	27
3.	परिषिष्ट संख्या-3	क्षेत्रीय स्तर पर आबकारी प्रशासन	28
4.	परिषिष्ट संख्या-4	विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	30-31
5.	परिषिष्ट संख्या-5	चीनी मिलवार पीरे की उपलब्ध संचय क्षमता का विवरण	32
6.	परिषिष्ट संख्या-6	पीरा वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक पीरे के उत्पादन, उठान तथा अवपेश का विवरण	35
7.	परिषिष्ट संख्या-7	आसवनियों की अधिष्ठापित क्षमता व पिछले पांच वर्षों का अल्कोहल उत्पादन का विवरण	36
8.	परिषिष्ट संख्या-8	प्रदेश में कार्यरत एल-1 फार्मसियों का विवरण	39
9.	परिषिष्ट संख्या-9	प्रदेश में कार्यरत पार्टटाइम एल-1 इकाईयों का विवरण	40
10.	परिषिष्ट संख्या-10	वर्ष 2016-17 हेतु भांग की दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का जनपदवार विवरण	42
11.	परिषिष्ट संख्या-11	वर्ष 2016-17 हेतु जनपदवार आबकारी दुकानों की संख्या का विवरण	44
12.	परिषिष्ट संख्या-12	वर्ष 2016-17 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन से प्राप्त लाइसेंस फीस	47-50
13.	परिषिष्ट संख्या-13	वर्ष 2016-17 में विदेपी मदिरा की थोक बिक्री एवं विकृत स्पिरिट के अनुज्ञापनों के प्रकार एवं उनकी प्रभारवार संख्या का विवरण	51
14.	परिषिष्ट संख्या-14	विभिन्न मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2016-17 की लाइसेंस फीस/प्रणाली का संक्षिप्त विवरण	52
		(अ) वर्ष 2016-17 के लिये विदेपी मदिरा की श्रेणियां, प्रतिफल व सूत्र	54
		(ब) वर्ष 2016-17 के बीयर की श्रेणियां, प्रतिफल व सूत्र	55
15.	परिषिष्ट संख्या-15	प्रतिफल फीस की दरों का विवरण	56
16.	परिषिष्ट संख्या-16	निर्यात शुल्क की दरों का विवरण	57
17.	परिषिष्ट संख्या-17	वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2016-17 (मार्च 2017) तक विदेपी मदिरा के उपभोग का विवरण	58

18.	परिषिष्ट संख्या-18	वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2016-17 (मार्च 2017) तक विदेपी मदिरा एफ.एल.-6/7 तथा एफ.एल.9/9ए के उपभोग का विवरण	58
19.	परिषिष्ट संख्या-19	वर्ष 2016-17 में जनपदवार देपी षराब तथा भांग के उपभोग के विवरण	आंकड़ों का
20.	परिषिष्ट संख्या-20	वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (मार्च 2017)	

		तक में प्रयोगशालाओं द्वारा विप्लेशित नमूनों व उनसे अर्जित परीक्षण पुल्क का विवरण	59
21.	परिषिट संख्या-21	केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विगत 4 वर्षों के विप्लेशित नमूने व उनसे अर्जित परीक्षण पुल्क का विवरण	59
22.	परिषिट संख्या-22	स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स इकाइयों के गटन की स्थिति	60
23.	परिषिट संख्या-23	आबकारी विभाग की ई-मेल आई डी का विवरण (क) मुख्यालय/कैम्प कार्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों की ई मेल आई डी 61-65 (ख) मुख्यालय के अनुभागों की ई मेल आई डी (ग) संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन के अधिकारियों की ई मेल आई डी (घ) उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के अधिकारियों की ई मेल आई डी (ङ) जिला आबकारी अधिकारियों की ई मेल आई डी	
24.	परिषिट संख्या-24	आबकारी विभाग सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर का विवरण (क) मुख्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर 66-72 (ख) संयुक्त आबकारी आयुक्तों के सी0यू0जी0 नम्बर (ग) उप आबकारी आयुक्तों के सी0यू0जी0 नम्बर (घ) जिला आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (ङ) प्रवर्तन अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (च) आसवनी के अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर (छ) एस0एस0एफ0 अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर	

कार्यपूति दिग्दर्शक वर्ष 2017 – 2018

1. प्रस्तावना –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुये

विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय।

प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के बाद आबकारी की प्राप्तियाँ ही सर्वाधिक हैं। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

2. नयी आबकारी नीति की पृष्ठभूमि –

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान आबकारी नीति लागू की गयी है। इसमें समय-समय पर प्रयोगात्मक आधार पर यथावश्यकता वर्षानुवर्ष परिवर्तन व परिवर्धन किये जाते रहे हैं।

3. जन स्वास्थ्य व आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सुरक्षा होलोग्रामों का प्रयोग –

नयी आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रदेश में विक्रय की जाने वाली सभी प्रकार की मदिरा की बोतलों/कैन्स पर आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे जहाँ एक ओर आबकारी राजस्व के अपवंचन पर नियन्त्रण सम्भव हो सका है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए भी मानक गुणवत्ता की असली मदिरा व अवैध/नकली मदिरा के बीच पहचान करना सम्भव हो सका है। सुरक्षा होलोग्रामों के प्रयोग से जहाँ अवैध/तस्करी से लायी गयी मदिरा पर नियंत्रण करने में सुविधा हुई है, वहीं जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न होने से अवैध/नकली/जहरीली मदिरा के प्रचलन से होने वाली जन हानि पर भी अंकुश लगा है। होलोग्रामों के फीचरों में प्रतिवर्ष परिवर्तन कर होलोग्राम की गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखा जाता है।

4. प्रदेश में नया पूँजीनिवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन –

(क) **शीरा** – प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। अब प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 158 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 296.497 लाख कु० संचय क्षमता उपलब्ध है।

(ख) **अल्कोहल** – आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 67 से 76 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

(ग) वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति में अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु किये गये प्राविधान :

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। प्रदेश के कुल राजस्व का एक बड़ा भाग आबकारी विभाग द्वारा संग्रहीत कर राजकोष में जमा किया जाता है। विभाग द्वारा प्रदेश में आसवनियों के अनुज्ञापन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण द्वारा प्रदेश में औद्योगिक एवं पेय अल्कोहल के उत्पादन, मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन तथा अवैध मद्य निष्कर्षण व मदिरा की तस्करी की रोक-थाम के लिए कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

1. देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस में रु० 1000/- की वृद्धि करके रु० 11000/- प्रति आवेदन पत्र किया गया।
2. देशी शराब की फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में रु० 1000/- से रु० 5000/- तक निकायवार वृद्धि की गयी।
3. देशी शराब के एम.जी.क्यू. में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

4. देशी शराब थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन सी0एल0-1बी की लाइसेंस फीस में रु0 0.60 करोड़ प्रति अनुज्ञापन की वृद्धि की गयी।
5. देशी शराब के ब्राण्ड पंजीयन के शुल्क में रु0 5000/- प्रति ब्राण्ड की वृद्धि करके रु0 40000/- नियत की गई।
6. देशी शराब के लेबुल अनुमोदन शुल्क में रु0 5000/- प्रति लेबुल की वृद्धि करके रु0 40000/- नियत की गई।
7. विदेशी शराब की प्रोसेसिंग फीस में रु0 1000/- की वृद्धि करके रु0 11000/- प्रति आवेदन पत्र किया गया।
8. विदेशी शराब की फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में रु0 2000/- से रु0 5000/- तक निकायवार वृद्धि की गयी।
9. विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 5000/- की वृद्धि करते हुये रु0 70000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया गया।
10. विदेशी मदिरा के लेबुल अनुमोदन शुल्क में रु0 5000/- की वृद्धि करते हुये रु0 50000/- प्रति लेबुल निर्धारित किया गया।
11. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा के ब्राण्डों पंजीयन शुल्क में रु0 5000/- की वृद्धि करके रु0 30000/- प्रति ब्राण्ड व बियर में रु0 5000/- प्रति ब्राण्ड की वृद्धि करके रु0 25000/- प्रति ब्राण्ड की गयी।
12. माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीस में रु0 1000/- की वृद्धि करके रु0 12000/- प्रति आवेदन पत्र किया गया।
13. माडल शाप्स की फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में रु0 5000/- की निकायवार वृद्धि की गयी।
14. बीयर की प्रोसेसिंग फीस में रु0 1000/- की वृद्धि करके रु0 11000/- प्रति आवेदन पत्र किया गया।
15. बीयर के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 5000/- की वृद्धि करके रु0 40000/- निर्धारित किया गया।
16. बीयर के लेबुल अनुमोदन फीस में रु0 5000/- की वृद्धि करते हुये रु0 30000/- निर्धारित किया गया।

विगत 5 वर्षों में प्राप्त आबकारी राजस्व –

गत पाँच वर्षों की आबकारी राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस विभाग ने न्यूनतम व्यय पर अधिकतम राजस्व अर्जित करके कार्य क्षमता एवं दक्षता के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारित राजस्व लक्ष्य	0039 राज्य उत्पाद शुल्क (कुल प्राप्तियाँ)	गतवर्ष की अपेक्षा वृद्धि (प्रतिशत में)	विभाग पर किया गया कुल व्यय	व्यय कुल राजस्व के विरुद्ध (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
2012-13	10070.00	9782.86	20.19	118.51	1.21
2013-14	12500.00	11643.80	19.02	120.26	1.03
2014-15	14500.00	13482.32	15.78	134.89	1.00
2015-16	17500.00	14083.88	4.46	149.49	1.06
2016-17	19250.00	14273.42	1.34	165.20	1.16


अल्कोहल के उत्पादन, औद्योगिक उपयोग एवं निर्यात की स्थिति (मिलियन लीटर में) निम्नवत् है –

अल्कोहल वर्ष	अल्कोहल का उत्पादन	पी.डी. 2 के अन्तर्गत बाहर से आयातित	पेय अल्कोहल की खपत	अपेय अल्कोहल की प्रदेश में खपत	प्रदेश के बाहर निर्यात	देश के बाहर निर्यात	योग (5+6+7)	अपेय अल्कोहल व निर्यात का योग कुल उत्पादन के विरुद्ध : में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	833.46	12.92	136.81	276.09	390.75	11.64	678.48	81.40


2008-09	439.84	75.74	135.17	145.07	195.29	6.18	346.54	78.79
2009-10	599.29	32.78	139.66	157.29	301.39	31.51	490.19	77.55
2010-11	669.18	0.50	152.31	230.99	300.72	20.48	552.19	82.46
2011-12	830.10	0.00	152.90	244.67	385.61	46.84	677.12	81.57
2012-13	848.84	0.00	157.25	233.68	364.74	96.88	695.30	81.91
2013-14	768.24	46.35	151.37	299.15	274.63	41.04	614.82	80.03
2014-15	732.32	52.38	141.73	364.48	248.90	36.75	650.13	88.77
2015-16	762.40	53.99	147.17	373.25	274.16	18.72	666.14	87.37
2016-17 (मार्च तक)	330.15	15.62	54.80	6.89	76.95	12.89	96.7	29.29

राज्य के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वांगीण औद्योगिक विकास मुख्यतया उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण, बिजली, कोयला, विभिन्न अनुज्ञापन प्राप्त करने की सुगमता, विकसित औद्योगिक केन्द्र कुशल कारीगर एवं उत्पाद की बिक्री एवं खपत व कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग उद्योगों को शीरा एवं अल्कोहल उपलब्ध कराने, युक्तिसंगत कराधान एवं सुलभ लाइसेंसिंग प्रणाली निरूपित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विगत 5 अल्कोहल वर्षों में पेय एवं अपेय मद में अल्कोहल का तुलनात्मक खपत (मिलियन लीटर में)



विगत 5 अल्कोहल वर्षों में अल्कोहल उत्पादन (मिलियन लीटर में)



5. कार्य क्षेत्र –

1- आबकारी विभाग द्वारा निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित नियमों के अर्न्तगत कार्य किये जाते हैं :-

क्रमांक	कार्यक्षेत्र	सुसंगत अधिनियम व नियम
1.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग तथा अन्य पदार्थ जो मादक घोषित हों।	: संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
2.(अ)	अफीम का क्रय-विक्रय एवं उसका दवाओं के लिए उपयोग	: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
(ब)	नारकोटिक पदार्थों पर नियंत्रण	: यथा उपरोक्त
(स)	अफीम, चरस एवं गांजा का मादक पदार्थ के रूप में निषेध	: यथा उपरोक्त
3.	चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण, संभरण व वितरण	: उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली
4.	अल्कोहल एवं नारकोटिक युक्त औषधियों का उत्पादन, कर वसूली आदि	: स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम – 1985 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली तथा मेडिसिनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपेरेशंस (एक्साइज ड्यूटीज) अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
5.	अल्कोहल का विक्रय	: यू.पी. सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट, डीजल, आयल एण्ड अल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली

6.	अल्कोहल युक्त औषधियों का अन्तर्राज्यीय व्यापार	:	स्पिरिटुअस प्रिपरेशंस (इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
7.	मिथाइल अल्कोहल नामक घातक विष को कब्जे में रखने व उसके क्रय पर नियंत्रण व इससे विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम	:	विष अधिनियम, 1919 तथा उत्तर प्रदेश प्यायजन्स (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994

6. विभाग की प्रशासनिक संरचना –

विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण आबकारी आयुक्त के अधीन है जो शासन द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम स्केल के अधिकारी होते हैं। विभागाध्यक्ष के रूप में शासन के निर्देशान्तर्गत प्रशासन की व्यवस्था परिशिष्ट-3 में दर्शायी गयी है। विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-4 में दर्शाया गया है।

7. आबकारी दुकानों की बन्दी –

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों यथा वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख (नैमिषारण्य), देवाशरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में शराब बन्दी लागू है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं इलाहाबाद में संगम की परिधि के चारों ओर के एक किलोमीटर के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय महत्व के दिवसों यथा गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस (14 अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तथा महात्मा गांधी जन्म दिवस (2 अक्टूबर) को शराब की दुकानें पूर्णतया बन्द रहती हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्ष में तीन दिन समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखी जा सकती हैं।

अल्कोहल/अन्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकने हेतु उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	वर्ष	उठाये गये कदम
1.	1946	पूरे प्रदेश में चरस के आयात, निर्यात, परिवहन व विक्रय पर निषेध
2.	1956	पूरे प्रदेश में गांजा के अनौषधीय प्रयोग पर निषेध।
3.	1959	पूरे प्रदेश में अफीम के अनौषधीय प्रयोग पर निषेध।
4.	1976	मदिरा के विज्ञापनों पर रोक लगायी गयी।
5.	1977	गांजे के प्रयोग पर पूर्ण निषेध
6.	1978	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहल युक्त 19 औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
7.	1985	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहल युक्त 3 औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
8.	1991	मदिरा के रूप में दुरुपयोग की जाने वाली अल्कोहलयुक्त 49 आयुर्वेदिक औषधियों को 'लिकर' घोषित किया गया।
9.	1991	समस्त पेटेन्ट एण्ड प्रोप्राइटरी औषधियों जिसमें 12 प्रतिशत/वी/वी से अधिक अल्कोहल हो, 'लिकर' घोषित किया गया।

8. (क) शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग –

वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित चीनी मिलों की संख्या 158 है। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियां व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे और न ही उद्योगों की स्थापना को

प्रोत्साहित करने की कोई नीति ही थी। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर बाहर फिकवाने के लिए अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिए विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियां एवं अन्य उद्योग स्थापित हुए, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2016-17 (1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक) में 350.00 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्रोत हैं-

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।
2. खाण्डसारी इकाईयों द्वारा।

अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु खाण्डसारी इकाईयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार शक्कर के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियां रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के 4 प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे की कुल उत्पादन का कम से कम पचास प्रतिशत या पिछले चार वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की व्यवस्था अनिवार्य है। शीरा वर्ष 31-03-2017 तक प्रदेश में कुल 158 वैक्यूम पैन वाली चीनी मिलें थी, जिसमें से उक्त वर्ष में 38 चीनी मिलें बिल्कुल नहीं चली थी जिससे प्रदेश में शीरा वर्ष में चालू चीनी मिलों की संख्या 120 थी। ये बन्द चीनी मिलें- रामपुर, कठकुइयां, गौरी बाजार, आनन्दनगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महोली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, मुन्डेरवा, हरदोई, मलियाना, घुघली, औराई, धुरियापार, खलीलाबाद, भटनी, बुढवल, देवरिया, बैतालपुर, पिपराइच, रामकोला-के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीगंज, कमलापुर, पुवायां, मझोला, दया, सराया, मझोली, रसड़ा, आनन्द एग्रेकेम, विडबी अमरोहा व पडरौना थी।


इन बन्द चीनी मिलों में से 03 भारत सरकार की, 22 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० की एवं 05 उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की एवं 08 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थी।

विगत 5 वर्षों में शीरे के उत्पादन तथा खपत आदि का विवरण निम्नवत् है :-

(लाख कुन्टल में)

शीरा वर्ष	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष में उत्पादन	कुल उपलब्धता	गृह खपत	निर्यात	कुल खपत
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	45.69	388.82	434.51	397.71	9.88	407.59
2012-13	26.63	424.56	451.19	398.53	19.72	418.25
2013-14	32.53	353.61	386.14	326.53	3.19	329.72
2014-15	54.32	371.49	425.81	346.52	15.88	362.40
2015-16	63.36	308.53	371.89	338.24	17.06	355.30
2016-17 (मार्च तक)	15.02	350.00	365.02	181.47	2.24	183.71

उक्त 5 वर्षों में शीरे के उत्पादन, उठान तथा अवशेष का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है। शीरे की उपलब्धता एवं खपत का चित्रण निम्नवत् है:-



8.(ख) अल्कोहल -

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस समय प्रदेश में 59 आसवनियाँ शीरे एवं 1 आसवनी गैर शीरा (अनाज) तथा 1 आसवनी गैर शीरा (अनाज)/शीरा पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 61 आसवनियाँ हैं। इनमें से 5 पेय, 28 औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 3 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियाँ हैं। प्रदेश में 7 आसवनियाँ सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 54 आसवनियाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बीयर उत्पादन हेतु 6 (छः) यवासवनियाँ हैं।

अल्कोहल वर्ष 2012-13 से अल्कोहल वर्ष 2016-17 (मार्च तक) में वर्षवार अल्कोहल का उत्पादन/खपत एवं अवशेष का विवरण (लाख बली0 में) निम्नवत् है -

क्र०सं०	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (माह मार्च, 17 तक)
1	प्रारम्भिक अवशेष	387.59	305.28	749.15	635.12	625.97
2	अल्कोहल का उत्पादन	8488.36	7682.36	7323.17	7623.98	3301.54
3	आसवनियों द्वारा प्रदेश/देश के बाहर से आयातित	0.00	463.53	523.76	539.94	156.18
	योग	8875.95	8451.17	8596.08	8799.04	4083.69
4	उपभोग (गृहखपत)					
	1. पेय	1572.46	1513.73	1417.28	1471.65	548.04
	2. औद्योगिक	1355.90	1188.32	957.63	371.14	68.86
	3. अन्य	980.91	1803.14	2687.13	3361.40	1191.59
	योग	3909.27	4505.19	5062.04	5204.19	1808.49
5	निर्यात- 1. अन्य राज्यों को	3647.42	2746.34	2489.01	2741.62	769.51

	2. देश के बाहर	968.75	410.42	367.50	187.20	128.92
	योग	4616.17	3156.76	2856.51	2928.82	898.43
6	कुल उपभोग	8525.44	7661.95	7918.55	8133.01	2706.92
7	लेखानुसार अवशेष	350.51	789.22	677.53	666.03	1376.77
8	छीजन	45.23	40.07	42.41	40.06	13.28
9	वास्तविक अवशेष	305.28	749.15	635.12	625.97	1363.49

**उत्तर प्रदेश में 6 यवासवनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 में
बीयर के वास्तविक उत्पादन का विवरण (हजार ब. ली. में)**

क्र.सं.	यवासवनी का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	मोहन मीकिन्स, गाजियाबाद	11685	7914	6825	4019	2187
2.	मोहन गोल्डवाटर, लखनऊ	7030	7001	4103	20258	44465
3.	नारंग ब्रिवरीज, गोंडा	—	—	—	—	—
4.	स्काल (सेन्द्रल) ब्रेवरी, मेरठ	19555	20240	16138	10397	7055
5.	मानव ब्रिवरीज, गाजियाबाद	2199	306	0	0	0
6.	वेव ब्रिवरीज, अलीगढ़	77086	83056	84950	84153	102156
	योग	117555	118517	112016	118827	155863

**अल्कोहल वर्ष 2012-2013 से 2015-2016 व 2016-2017 में राज्य में औद्योगिक
इकाइयों द्वारा अल्कोहल की खपत (लाख लीटर में) का विवरण निम्न प्रकार है :-**

क्र.सं.	इकाई का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (मार्च तक)
1	सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल	बन्द है।				
2	सोमैया आर्गेनिक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जुबिलेन्ट आर्गेनोसिस लिमिटेड	1076.28	1035.31	800.58	366.79	64.48
4	धामपुर सुगर मिल्स	264.08	153.01	157.05	4.36	4.37
5	विजयश्री	बन्द है				
6	ओसवाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स	बन्द है				
7	गाजियाबाद आर्गेनिक्स	15.54	0	बन्द है	बन्द है	बन्द है
8.	अन्य गृह खपत	980.91	1803.14	2687.13	3361.40	1191.59
	योग	2336.81	2991.46	3644.76	3732.55	1260.44

**वित्तीय वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 तक विभिन्न प्रकार के आसवों का उत्पादन
(हजार बी. एल. में)**

वर्ष	पूर्ण मद्यसार	परिशोधित स्पिरिट	देशी शराब	विकृत स्पिरिट वि.वि. स्पिरिट	भा. नि. विदेशी मदिरा
2012-2013	72144	461857	247227	326542	151626
2013-2014	137140	457198	266500	344411	147827
2014-2015	161167	289555	283700	218600	119297
2015-2016	336051	266203	312460	150333	94402
2016-2017	341492	198392	322202	109810	122506

प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन के अल्कोहल वर्ष 2009-2010 से 2013-2014 तक के आसवनीवार आंकड़े परिशिष्ट-7 पर दर्शाये गए हैं।

8.(ग) पर्यावरण की स्वच्छता -

पर्यावरण की स्वच्छता को बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा देशी शराब की आपूर्ति पाउच के स्थान पर बोतल में करने का निर्णय लिया गया है जिससे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी जो स्वयं में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

8.(घ) अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालायें -

अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को उनकी कार्य-प्रणाली एवं अनुज्ञापन दिये जाने की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

1. एफ. एल.-39 प्रकार के उद्योग :-

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जो अल्कोहल को अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अथवा उत्पादन प्रक्रिया में अल्कोहल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और अन्तिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाइल एसीटेट, पाली इथलीन, इथलीन ग्लाइकोल, विनायल एसीटेट मोनीमर, इथाइलीन ऑक्साइड, डेरीवेटिक्स आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 16 अनुज्ञापन कार्यरत हैं जिन्हें कुल 4059.99 लाख बल्क ली. एस. डी. एस. का कोटा आवंटित है।

2. एफ. एल.-40 प्रकार के उद्योग -

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः

प्रयोग के लिये प्राप्त किया जाता है। इस श्रेणी में सेल्यूलोज और उसके डेरीवेटिक्स, पेक्टिन, लिवर एक्सट्रैक्ट आदि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 11 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें 39.69 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट का कोटा आवंटित है।

3. (क) एफ. एल.-41 प्रकार के उद्योग -

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग अन्तिम उत्पाद के एक घटक अथवा वेहिकल के रूप में किया जाता है और अन्तिम उत्पाद में अल्कोहल उपस्थित रहता है। इस श्रेणी में अल्कोहल से पेण्ट, थिनर, लेकर्स, पालिश इत्यादि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 12 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 50.54 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट का कोटा आवंटित है।

3. (ख) एफ. एल.-41 (पेट्रोलियम इकाइयों हेतु) -

भारत सरकार द्वारा इंडियन पावर अल्कोहल एक्ट 1948 को रिपील कर दिये जाने के क्रम में शासन ने पेट्रोलियम इकाइयों को पी.ए.-5 के स्थान पर एफ0एल0-41 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या- 3285/दो-805 ए/गैसो हाल/मिसलेनियस दिनांक 22.7.2003 जारी की गई। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित 33 पेट्रोलियम डिपुओं को एफ0एल0 41 अनुज्ञापन निर्गत किए गये जिन्हें उक्त अनुज्ञापन के अंतर्गत 3308.70 लाख लीटर पावर अल्कोहल का कोटा आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत इथनाल का मिश्रण किया जा रहा है।

8.(ड़) अल्कोहल, भांग तथा नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों की निर्माणशालायें :-

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण करने वाली फार्मसियों को मेडिसीनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) नियमावली, 1956 के प्राविधानानुसार एल0- 1, पार्ट टाइम एल0- 1 तथा एल0- 2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं।

1. एल0-1 बाण्डेड फार्मसी -

एल0-1 तथा पार्टटाइम एल0- 1 प्रकार के अनुज्ञापनों की स्वीकृति हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश हैं। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत ऐसा परिसर अथवा उसका किसी प्रकार का ऐसा भाग आता है जो औषधीय व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण के लिए स्वीकृत व अनुज्ञापित किया गया हो और जिसमें अल्कोहल तथा भांग व स्वापक पदार्थों का प्रयोग औषधि तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में किया जाता हो। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली निर्माणशालाओं द्वारा बिना अभिकर जमा कराये बाण्ड के अन्तर्गत औषधियों व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, परन्तु इस निर्मित उत्पादों को बाण्ड के बाहर, निकासी देने के पूर्व नियमानुसार सारा अभिकर राजकीय कोष में जमा करा लिया जाता है। प्रदेश में इस समय एल0-1 प्रकार के 20 तथा पार्टटाइम एल0-1 प्रकार के 45 अनुज्ञापन कार्यरत हैं। इन अनुज्ञापनों के अन्तर्गत कुल 19.15 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का वार्षिक कोटा आवंटित है। (संलग्नक-परिशिष्ट- 8 व 9)

2. एल0-2 नान बाण्डेड फार्मसी -

एल0-2 प्रकार के नान बाण्डेड अनुज्ञापन स्वीकृत करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, परन्तु इस प्रकार के अनुज्ञापनों को स्वीकृत करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इन अनुज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा परिसर अथवा उसका किसी प्रकार का ऐसा भाग आता है जो औषधीय व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण व संग्रह के लिये स्वीकृत किया गया हो और इसके अंतर्गत अनुज्ञापनधारी फार्मसियों को अल्कोहल उठाने के पूर्व ही सम्पूर्ण अभिकर राजकोष में जमा करना होता है। अल्कोहल पर लगने वाला सम्पूर्ण अभिकर जमा कराने के पश्चात् एल0-2 फार्मसियों द्वारा अल्कोहल प्राप्त करके अल्कोहलयुक्त औषधियों का निर्माण बिना किसी बाण्ड के और बिना किसी आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति के नियमानुसार किया जाता है। पूर्व में एल0-2 प्रकार के अनुज्ञापनों के अंतर्गत सभी प्रकार की औषधियाँ व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी, परन्तु शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अब केवल होम्योपैथिक औषधियों के उत्पादन हेतु ही एल0-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में एल0-2 प्रकार की 26 फार्मसियाँ कार्यरत हैं, जिनके द्वारा केवल होम्योपैथिक औषधियों का ही निर्माण किया जा रहा है। इन फार्मसियों को लगभग 1.47 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का वार्षिक कोटा आवंटित है।

9. लाइसेंस नीति एवं कराधान प्रणाली -

आबकारी राजस्व का मुख्य भाग मादक पदार्थों पर प्रतिफल फीस के रूप में प्राप्त होता है।

भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वर्ष 2016-17 का विवरण परिशिष्ट-10 में प्रस्तुत है। जनपदवार आबकारी दुकानों की संख्या का वर्ष 2016-17 का विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है। इसी प्रकार देशी मदिरा की दुकानों के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 व उस पर निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं विदेशी मदिरा, बीयर से प्राप्त लाइसेंस फीस वर्ष 2016-17 का विवरण परिशिष्ट-12 में दिया गया है। विदेशी मदिरा की थोक बिक्री एवं विकृत स्पिरिट के अनुज्ञापनों के प्रकार एवं उनकी संख्या का विवरण परिशिष्ट-13 में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 के विभिन्न अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-14 में है। वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा की श्रेणियां व प्रतिफल फीस तथा एम0आर0पी0 निर्धारण के सूत्र का विवरण परिशिष्ट-14(अ) में दिया गया है। वर्ष 2016-17 में बीयर की श्रेणियां व प्रतिफल फीस तथा एम0आर0पी0 निर्धारण के सूत्र का विवरण एवं बीयर की श्रेणीवार/तीव्रतावार एम0आर0पी0 निर्धारण का सूत्र परिशिष्ट-14(ब) में दिया गया है। दिनांक 01-04-2015 से बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का विवरण परिशिष्ट-14(स) में उल्लिखित है।

वर्ष 2016-17 में प्रतिफल फीस की दरों का विवरण परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है। निर्यात शुल्क की दरों का विवरण परिशिष्ट-16 में प्रस्तुत है।

ताड़ी की दुकानें उन्ही स्थानों पर खोली गयी है, जहाँ ताड़ व खजूर के वृक्ष उपलब्ध है। प्रदेश के 22 जनपदों में ताड़ी की फुटकर दुकानों की व्यवस्था है।

10. आबकारी दुकानों के सृजन की नीति –

अवैध मद्य निष्कर्षण वाले क्षेत्र एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में अवैध, नकली व विषैली शराब की बिक्री से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव की रोकथाम हेतु तथा शुद्ध व निर्धारित मानक के अनुरूप मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नयी आबकारी दुकानों का सृजन किया जाता है। आबकारी दुकानों का सृजन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि उक्त दुकानें उत्तर प्रदेश आबकारी (दुकानों की संख्या एवं स्थिति) नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानानुसार खोली जायें। देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर तथा भांग की फुटकर दुकानों तथा माडलशाप्स का व्यवस्थापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाता है।

11. प्रवर्तन कार्य –

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। सम्प्रति प्रदेश में देशी मदिरा की 14324, विदेशी मदिरा की 5577, बीयर की 4703, माडलशाप की 402 तथा भांग की 2530 अनुज्ञापित दुकानें हैं। अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री के अतिरिक्त असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री भी की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड द्वारा जन हानि भी हो सकती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है, जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन दो आबकारी निरीक्षक, दो हेड कान्स्टेबिल एवं दस कान्स्टेबिल को सम्मिलित कर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी अभिसूचना ब्यूरो स्थापित है। अभिसूचना ब्यूरो का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पाँच उप आबकारी आयुक्त, एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई0आई0बी0) के अन्तर्गत आने वाली मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन ईकाईयाँ एवं आबकारी अभिसूचना ब्यूरो आबकारी अपराधों एवं तस्करों की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करता है तथा भारत सरकार की नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के सम्पर्क में रहता है। साथ ही देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत निगरानी रखता है। वर्तमान में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु 47 सचल दल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ई0आई0बी0 अनुभाग विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की

जॉच कार्यवाही सम्पादित करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना केन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

गत पाँच वर्षों में आबकारी स्टाफ एवं प्रवर्तन स्टाफ द्वारा पकड़े गये आबकारी अपराधों एवं इनमें समपहृत की गई मादक द्रव्यों की मात्रा निम्नवत् है:-

अभियोगों का विवरण

क्र० संख्या	अभियोगों का प्रकार	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7
1	आई०डी०	66872	73763	77198	79717	85975
2	ओ०एल०	52965	57044	63085	69997	78663
3	भांग	4987	5666	5411	5512	5862
4	गांजा	05	07	20	10	10
5	चरस/ हेरोइन/ अफीम	0	01	01	01	01
6	अन्य (मि० अल्कोहल/ ताड़ी/ शीरा)	2479	2833	2938	2695	2551
	योग	127310	139314	148653	157932	173062

समपहृत अवैध मादक द्रव्य की मात्रा

1	शराब (ब०ली० में)	2002939	2515251	3208510	3816894	4809437
2	भांग (कि०ग्रा०)	4948	11168	9294	6534	6145
3	गांजा (कि०ग्रा०)	28	14	27	77	91
4	चरस/ हेरोइन/ अफीम (कि०ग्रा०)	0	0 ^० 05	0 ^० 01	0 ^० 15	0 ^० 30
5	अन्य (मि० अल्कोहल/ ताड़ी/ शीरा)	104793	115394	59923	64976	137656

विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर बिक्री के गत 10 पूर्ण वर्षों के आँकड़े परिशिष्ट-17 तथा विदेशी मदिरा एफ०एल०-6/7 व एफ०एल०-9/9ए के आँकड़े परिशिष्ट-18 एवं भांग के उपभोग के आँकड़े (जनपदवार) परिशिष्ट-19 में दर्शाए गये हैं।

आबकारी विभाग द्वारा अपने सीमित संसाधनों से आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण कर अवैध मदिरा की बिक्री पर रोक थाम की गयी तथा अनुज्ञापित दुकानों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप देशी/ विदेशी मदिरा के वैध उपभोग में प्रायः वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	उपभोग देशी शराब (लाख ब०ली०में)	व्यतिक्रम प्रतिशत में	उपभोग विदेशी मदिरा (एफ०एल०-5/5बी माडल शाप) लाख ब० में			
			सिस्ट	व्यतिक्रम प्रतिशत में	बीयर	व्यतिक्रम प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
2002.03	2195 ⁹ 1	६ 8 ⁷ 4	450 ³ 37	६ 26 ⁶ 6	404 ² 25	६ 14 ⁸ 8
2003.04	1639 ⁸ 66	६ 25 ² 2	464 ³ 34	६ 3 ¹ 1	387 ⁸ 84	६ 4 ¹ 1
2004.05	1758 ⁵ 58	६ 7 ² 2	496 ⁰ 01	६ 6 ⁸ 8	419 ⁴ 49	६ 8 ² 2
2005.06	1916 ⁹ 09	६ 8 ⁹ 9	545 ⁹ 95	६ 10 ¹ 1	489 ³ 36	६ 16 ⁷ 7
2006.07	1979 ³ 35	६ 3 ³ 3	633 ⁰ 01	६ 16 ⁰ 0	597 ¹ 13	६ 22 ⁰ 0
2007.08	2063 ³ 30	६ 4 ¹ 1	687 ⁵ 52	६ 7 ⁹ 9	667 ² 22	६ 10 ⁵ 5
2008.09	2133 ² 22	६ 3 ³ 3	784 ⁰ 01	६ 12 ³ 3	723 ⁶ 62	६ 7 ⁸ 8
2009.10	2292 ⁵ 52	६ 6 ⁹ 9	926 ² 27	६ 15 ⁴ 4	915 ³ 33	६ 20 ⁹ 9
2010.11	2345 ⁴ 43	६ 2 ³ 3	1091 ⁰ 07	६ 15 ¹ 1	1117 ⁷ 78	६ 18 ¹ 1
2011.12	2378 ⁰ 06	६ 1 ⁴ 4	1221 ⁶ 61	६ 10 ⁷ 7	1395 ⁵ 51	६ 19 ⁹ 9
2012.13	2529 ² 21	६ 6 ⁰ 0	1136 ⁷ 71	६ 6 ⁹ 9	1796 ⁴ 44	६ 22 ¹ 1
2013.14	2686 ⁶ 68	६ 6 ² 2	1080 ⁰ 07	६ 4 ⁹ 9	2052 ⁰ 00	६ 14 ² 2
2014.15	2854 ⁰ 06	६ 6 ² 2	924 ¹ 16	६ 14 ⁴ 4	2263 ⁷ 72	६ 10 ³ 3
2015.16	3083 ⁷ 73	६ 8 ⁰ 0	754 ⁹ 97	६ 18 ³ 3	2716 ⁴ 44	६ 20 ⁰ 0
2016.17	3217 ⁹ 99	६ 4 ⁴ 4	1300 ³ 31	६ 72 ² 2	2535 ⁶ 67	६ 6 ⁷ 7

नोट – वर्ष में व्यतिक्रम का प्रतिशत इसी अवधि में गतवर्ष के उपभोग में सापेक्ष है।

11.(क) विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही :-

मथाइल अल्कोहल एक अत्यन्त विषैला रसायन है जो प्रदेश में गाजियाबाद की दो एवं बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में स्थित एक-एक औद्योगिक इकाइयों से सह उत्पादन के रूप में निकलता है। मिथाइल अल्कोहल का रंग, गन्ध, बनावट आदि पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल (रेक्टिफाइड स्पिरिट) से मिलता जुलता है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति में कभी कभी इसका उपयोग अवैध अड्डों पर बिकने वाली अवैध मदिरा के रूप में भी किया जाता है।

गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-3270/8-9-4(5)/89 दिनांक 31 जुलाई 1989 तथा उत्तर प्रदेश प्वाइजन्स (रेगुलेशन आफ प्जेसन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को विष की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तदनुसार विष नियमावली, 1921 के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स प्राप्त किये मिथाइल अल्कोहल का संचय, विक्रय, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से ऊपर के पुलिस अधिकारी, तहसीलदार या मुख्य चिकित्साधिकारी इसके दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यवाही हेतु सक्षम हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकार देने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में नियमावली को संशोधित कर आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को भी नियमावली में उल्लिखित अन्य अधिकारियों के समान अधिकृत किया गया है।

मिथाइल अल्कोहल को रंजित किए जाने हेतु कर्मक के रूप में 0.0002: किस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंधकारक पदार्थ के रूप में 0.2: कोटनैल्डहाइड्रड मिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्लोरल हाइड्रेट नामक विषैले एवं नशीले पदार्थ का अपमिश्रण ताड़ी एवं मदिरा में करने के कारण तैयार उक्त जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु का प्रकरण भी प्रकाश में आया है। क्लोरल हाइड्रेट का परीक्षण फील्ड स्तर पर करने हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों/आबकारी निरीक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को क्लोरल हाइड्रेट परीक्षण हेतु किट भी उपलब्ध कराई गयी है जिससे उसका परीक्षण मौके पर ही शीघ्रता से किया जा सके।

सीमित साधनों के कारण प्रयासों के बावजूद भी अकेले आबकारी विभाग मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी में लिप्त सुविधा सम्पन्न अवॉछनीय तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण करने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाता है, जिस कारण आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन को सम्मिलित कर संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाए गये। उपरोक्त अभियान में ऐसे स्थानों ग्रामों को चिन्हित कर कार्यवाही की

गयी जिनमें अवैध मद्य निष्कर्षण/अवैध शराब का व्यापार हो रहा था। उक्त स्थानों में ईट भट्टों के आस-पास का क्षेत्र, नदी, नहर, झील अथवा तालाब के सन्निकट स्थित ग्राम अथवा मलिन बस्तियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड, नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए कुख्यात ढाबों, होटलों तथा रेस्टोरेन्टों पर भी छापे की कार्यवाही की गयी। उक्त अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्य एवं अपहृत मादक पदार्थों की मात्रा का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	अभियोगों का प्रकार	01.04.2016 से 31.03.2017
1	अवैध मद्यनिष्कर्षण	85975
2	अवैध मदिरा की तस्करी के अभियोग (राज्य सीमा के भीतर)	59937
3	अवैध मदिरा की तस्करी के अभियोग (अन्तर्राज्यीय)	18726
	शराब सम्बन्धी अभियोगों का योग	164638
4	भांग	5862
5	गांजा	10
6	ताड़ी/हेरोइन/चरस/डि0 स्प्रिट	01
7	अन्य	2551
	योग	173062
अपहृत मात्रा		
1	शराब (ब0ली0 में)	4809437
2	भांग (कि0ग्रा0 में)	6145
3	गांजा (कि0ग्रा0 में)	91
4	चरस/ हेरोइन (किग्रा0 में)	0.30
5	अन्य/ताड़ी/मि0 अल्कोहल (ली0 में)	137656

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश आदेशान्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से माह मई, अक्टूबर (दीपावली) एवं दिसम्बर 2016 (नववर्ष) में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा शराब के अपमिश्रण, जिसका जनस्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े के पकड़े गये मामलों में आई0पी0सी0 की धारा-272/273 के अन्तर्गत भी कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये, जो पूर्व में प्रचलित गैंगेस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रही है।

11.(ख) स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन -

पूर्व स्थापित 29 आबकारी चेकपोस्टों को शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में प्रभावी प्रवर्तन कार्य तथा मादक पदार्थों की तस्करी करापवंचन पर नियंत्रण रखे जाने हेतु विभाग में कुल एस.एस.एफ. की 47 इकाइयों का गठन किया गया है। एस.एस.एफ. इकाइयां दो प्रकार की हैं। ए- श्रेणी व बी-श्रेणी। ए-श्रेणी में कुल 40 इकाइयां तथा बी श्रेणी में कुल 7 इकाइयां गठित की गयी हैं। ये इकाइयां सीधे उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स के नियंत्रणाधीन हैं। उक्त इकाइयों का प्रभारवार/जोनवार विवरण परिशिष्ट 22 में दिया गया है।

12. प्राविधिक कार्य -

प्राविधिक अनुभाग द्वारा प्रदेश के सभी बन्धित व अबन्धित औषधि निर्माणशालाओं, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों एवं आसवनियों पर प्राविधिक नियंत्रण रखने एवं उनकी समस्याओं एवं परिवर्तन/ परिवर्धन तथा क्षमता विस्तार के संबंध में आबकारी आयुक्त को यथावश्यक प्राविधिक परामर्श देने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश में 60 आसवनियाँ शीरे एवं 1 आसवनी गैर पराम्परागत स्रोतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 61 आसवनियाँ कार्यरत हैं। इनमें से 5 पेय, 28 औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 3 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियाँ है। प्रदेश में 7 आसवनियाँ सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 54 आसवनियाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बीयर उत्पादन हेतु 6 (छः) यवासवनियाँ हैं।

प्राविधिक अनुभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में बंधित/अबंधित औषधि निर्माणशालाओं के क्रिया-कलापों का विवरण निम्नवत है:-

लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंसों की संख्या	अल्कोहल का कोटा (लाख अल्कोहल लीटर में)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	
			2015-2016	2016-2017
एल.-1	20		9.66	7.50
पार्ट टाइम एल-1	45	19.15		
एल-2	26	1.47		

शासन के निर्देशानुसार एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु एल0-2 अनुज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से निरस्त कर दिये गये हैं। वर्तमान में नये एल-1 अनुज्ञापन शासन के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा एल0-2 अनुज्ञापन (होमियोपैथिक को छोड़कर) जारी नहीं किये जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 1992 से पूर्व के एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माण करने वाले एल0-2 अनुज्ञापियों को शासन द्वारा निर्धारित उक्त नीति के अनुसार अनुज्ञापियों की सहमति पर एल0-1 अनुज्ञापन में परिवर्तित किया जा रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु अल्कोहल का आवंटन नहीं किया जा रहा है। एल0-1 तथा एल0-2 अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के समय उनके वार्षिक अल्कोहल के कोटे का पुनर्निर्धारण स्थानीय औषधि निरीक्षक एवं आबकारी निरीक्षक की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार परीक्षणोपरान्त किया जा रहा है। भांग युक्त औषधियों के निर्माण हेतु पार्ट टाइम एल0-1 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 10 व 78 के प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के अन्तर्गत पापी हैड (पापी स्ट्र) अर्थात् पोस्ता डोडा का क्रय-विक्रय तात्कालिक प्रभाव से (वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय प्रयोग को छोड़कर) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निषिद्ध कर दिया गया है।

उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत नारकोटिक ड्रग्स के निर्माण, कब्जे में रखने, क्रय-विक्रय करने तथा परिवहन आदि प्रयोजनों के लिए निम्नानुसार अनुज्ञापन प्रदान किये जाते हैं:-

1. नारकोटिक्स ड्रग्स के थोक व्यापार (विनिर्माता और व्यापारी) का अनुज्ञापन- एन0डी0एल0डी0।
2. नारकोटिक्स ड्रग्स के परिवहन हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0टी0।
3. नारकोटिक्स ड्रग्स के रसायनज्ञ हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0एल0सी0।
4. पोस्ता डोडा के लिए थोक व्यापारी का अनुज्ञापन- एन0डी0पी0एस0 -1।
5. पोस्ता डोडा का वैज्ञानिक/औषधीय प्रयोजन हेतु अनुज्ञापन- एन0डी0पी0एस0-2।
6. चिकित्सा के आधार पर अफीम को मुख से सेवन करने/कब्जे में रखने एवं परिवहन करने के लिए अनुज्ञापन-एन0डी0ओ0-1।

13. पावर अल्कोहल से गैसोहाल बनाने की योजना –

पावर अल्कोहल का गैसोहाल के रूप में व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत पेट्रोल में पांच प्रतिशत पावर अल्कोहल का मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक 20.09.2006 द्वारा दिनांक 01.11.2006 से 20 राज्यों एवं चार संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनलों/डिपुओं पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के मिश्रण हेतु विभिन्न तेल कम्पनियों के 33 डिपुओं को-एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	जनपद का नाम
1.	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	मथुरा, गोण्डा, आगरा, देवरिया, कानपुर नगर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, झाँसी, चन्दौली, बरेली, बिजनौर एवं शाहजहाँपुर।
2.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	मथुरा, देवरिया, गोण्डा, बिजनौर, बरेली, झाँसी, चन्दौली, शाहजहाँपुर, एवं कानपुर नगर।
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०	गोण्डा, मेरठ, बिजनौर, देवरिया, झाँसी, चन्दौली, मथुरा, बरेली, कानपुर देहात एवं लखनऊ,।
4.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि०	कानपुर देहात।

भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रण की योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पावर अल्कोहल पेट्रोल में मिश्रित किया जा रहा था। वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत इथनाल का मिश्रण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.01.2013 के परिपेक्ष्य में किया जा रहा है। तदनुसार डिपुओं को 10.0 प्रतिशत इथनाल पेट्रोल में मिलाये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में मै० स्योहारा आसवनी बिजनौर, बलरामपुर आसवनी बलरामपुर, दौराला आसवनी दौराला मेरठ, धामपुर शुगर मिल्स (आसवनी) बिजनौर, सराया आसवनी सरदारनगर गोरखपुर, बलरामपुर आसवनी (बभनान) गोण्डा, रामपुर आसवनी रामपुर, मोहित पेट्रो केमिकल बिजनौर, द्वारिकेश शुगर मिल (आसवनी इकाई) बिजनौर, सिम्भावली आसवनी चिलवरिया बहराइच, सिम्भावली आसवनी हापुड़, मनकापुर चीनी मिल्स लि० (आसवनी) मनकापुर गोण्डा, नगलामल शुगर काम्प्लेक्स (आसवनी) मवाना मेरठ, बजाज हिन्दुस्थान लि. रूधौली बस्ती, डी०एस०एम० असमौली सम्भल, सिम्भावली शुगर्स बृजनाथपुर हापुड़, बजाज हिन्दुस्थान गोला आसवनी खीरी, अवध शुगर मिल्स हरगाँव सीतापुर, पिलखनी आसवनी सहारनपुर, शामली आसवनी मुजफ्फरनगर, बजाज हिन्दुस्थान लि० पलियाकला खीरी, सुपीरियर इण्डस्ट्रीज बरेली, किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णनगर खीरी, शाकुम्भरी शुगर मिल (आसवनी इकाई) सहारनपुर, के०एम०शुगर मिल आसवनी फैजाबाद, बजाज हिन्दुस्थान लि० गांगौली सहारनपुर, बजाज हिन्दुस्थान लि० खम्मारखेडा खीरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग प्रा० लि० मुजफ्फरनगर, डालमियाँ चीनी मिल (आसवनी) सीतापुर, सक्सेरिया शुगर मिल बिसवाँ सीतापुर, मेसर्स वेव डिस्टिलरी एण्ड ब्रिवरीज लि० अलीगढ़, उत्तम शुगर मिल्स लि० (आसवनी इकाई) बिजनौर नानपारा आसवनी बहराइच, अनूपशहर आसवनी, बुलन्दशहर, ननौता आसवनी सहारनपुर, टिकोला आसवनी, मुजफ्फरनगर एवं जुबिलेन्ट लाइफ साइंसेज, गजरौला अमरोहा को पावर अल्कोहल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में पावर अल्कोहल/अब्सोल्यूट अल्कोहल की कुल उत्पादन क्षमता 8840.50 लाख लीटर हो गयी है।

14. आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालायें –

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल 4 प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय इलाहाबाद में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालाओं में आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा के अनुज्ञापित दुकानों, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों आदि से संबंधित पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है। आसवनियों द्वारा उत्पादित शोधित सुरासव, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा आदि का श्रेणीकरण एवं विस्तृत रासायनिक परीक्षण करके मानव उपभोग हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देने का कार्य प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है। इन्ही प्रयोगशालाओं में आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 781 व 785 के प्राविधानों के अन्तर्गत आसवनियों में प्रयुक्त होने वाले विकारकों एवं विकृत सुरा का परीक्षण किया जाता है। देशी व विदेशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाले कैरामल, रंगों व सुगन्धों का परीक्षण उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर-713 के प्राविधानानुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में विशुद्ध मद्यसार, मदिरा, शीरा, ताड़ी, एफ0एल0-41 इकाइयों के थिनर आदि के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में अल्कोहल, भांग व नारकोटिक्स पदार्थयुक्त औषधियों के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इन औषधियों के नमूनों में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, आसवनियों, फार्मेशियों व अन्य औद्योगिक इकाइयों के जील व जर्मन मेक अल्कोहलोमीटर सेट तथा थर्मामीटर के मानकीकरण के साथ प्रदेश की आसवनियों के डिनाटोनियम बेन्जोएट/सैकराइड से विकृत विशेष विकृत सुरा/पावर अल्कोहल के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय एवं तीनों क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों तथा अर्जित राजस्व का विवरण परिशिष्ट-20 पर तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण किये गये नमूने व उनसे प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-21 पर दर्शाया गया है।

15. आडिट अनुभाग -

आडिट अनुभाग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों एवं आश्वासन समितियों द्वारा उठाये गये वित्तीय प्रकरणों के सम्बन्ध में जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर लोक लेखा समिति एवं आश्वासन समिति के लिये शीघ्रातिशीघ्र उत्तर भेजने का कार्य किया जाता है। महालेखाकार के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों की अनुपालन आख्या जनपदों/इकाइयों से प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार को उपलब्ध कराते हुए उनका निस्तारण भी कराया जाता है। विभाग में गठित आंतरिक सम्प्रेक्षा दलों द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षा भी की जाती है। वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2015-2016 की 93 इकाइयों की आंतरिक सम्प्रेक्षा का अनुमोदन आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0 प्र0 द्वारा किया गया था जिसके सापेक्ष 71 इकाइयों की आंतरिक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गई।

16. विधिक कार्य -

आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ व अन्य अदालतों में दायर सिविल अपीलों/विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/रिट याचिकाओं/अपीलों/निदेश याचिकाओं/वादों एवं अन्य मामलों में प्रतिशपथ पत्र/पूरक शपथ पत्र/लिखित विवेचन तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रभावी प्रतिवाद एवं सक्रिय पैरवी की जाती है। विभाग के विरुद्ध तथा विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की पैरवी, प्रतिवाद आदेश/अपील दायर करने की अनुमति/प्राप्त करने, प्रस्तवार आख्या/लिखित बहस तैयार कराने वाले अधिवक्ताओं को तथ्यों से अवगत कराने एवं अन्य न्यायालयीय कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में स्थित विधि प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत है -

(क)

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत	नियुक्त	अभ्युक्ति
1.	विधि परामर्शी	1	1	-

2.	उप आबकारी आयुक्त (विधि)	1	1	—
3.	सहायक आबकारी आयुक्त (विधि)	1	1	—
4.	आबकारी निरीक्षक	3	9	6 अधिसंख्य
5.	विधि सहायक	1	1	—
6.	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	पद रिक्त
7.	प्रधान सहायक	1	—	पद रिक्त
8.	वरिष्ठ सहायक	1	1	—
9.	कनिष्ठ सहायक	4	5	1 अधिसंख्य
10.	आशुलिपिक	1	—	पद रिक्त
11.	अन्य	2	2	

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु एक उप आबकारी आयुक्त (विधि), गाजियाबाद की तैनाती की गयी है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद है। विभाग के विरुद्ध वादों/पैरवी व अन्य विधिक कार्य एडवोकेट ऑन रिकार्ड करते हैं।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ व माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में लम्बित वादों की पैरवी के लिये एक सहायक आबकारी आयुक्त (विधि), दो आबकारी निरीक्षक व तीन अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गयी है। विभाग के विरुद्ध दायर वादों में बहस/पैरवी व अन्य विधिक कार्य क्रमशः मुख्य स्थायी अधिवक्ता व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी करते हैं। वर्तमान समय में विभाग के विरुद्ध/शासन द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की स्थिति/विवरण निम्नलिखित हैं—

- माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में वर्ष 1991 से मार्च 2017 तक 161 निदेश याचिकाएं लम्बित/विचाराधीन हैं। माननीय लोक सेवा अधिकरण लखनऊ मात्र 13 वादों में लिखित विवेचन दाखिल नहीं हो पाया है। इन सभी वादों में वांछित लिखित विवेचन तैयार एवं दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ में वर्ष—1991 से मार्च 2017 तक 601 रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं। अधिकांश मामलों में प्रतिशपथ पत्र/आपत्ति आदि दाखिल किया जा चुका है। मात्र 19 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं हो पाया है। इन सभी वादों में वांछित प्रतिशपथ पत्र तैयार एवं दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में वर्ष 1991 से मार्च 2017 तक कुल 52 विशेष अनुज्ञा याचिकाएं/सिविल अपीलें विचाराधीन हैं। लम्बित वादों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु यथावश्यक प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

17. विभाग में ई-गवर्नेन्स —

विभाग में ई-गवर्नेन्स के दृष्टिगत कम्प्यूटरीकरण किया गया है। विभाग ने उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपनी वेबसाइट विकसित की है जिसका पता www.ups.gov.in है। विभाग के वेबसाइट को समय-समय पर अद्यावधिक किया जाता है। विभाग के पास भारत संचार निगम की लीड लाइन भी है। विभागीय अधिकारियों के ई-मेल की सूची परिशिष्ट-23 पर है। प्रदेश के समस्त जनपदों, प्रभारों एवं जोन कार्यालयों तथा मुख्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं पेय मदिरा आसवनियों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। विभागीय कार्यकलापों के दैनिक अनुश्रवण के निमित्त “वेब बेस्ड आन लाइन एक्साइज मैनेजमेंट” का एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित कराया गया है।

18. विभागीय आय-व्ययक -

(धनराशि लाख रूपयें में)										
अनुदान संख्या-1 आयोजनेत्तर	बजट प्राविधान एवं व्यय का वर्षवार विवरण									
	लेखा शीर्षक	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय	बजट प्राविधान	व्यय
2039 राज्य उत्पाद शुल्क										
मतदेय	12643 ⁰ 31	11690 ⁰ 90	13383 ⁰ 03	11936 ⁰ 57	13586 ⁰ 55	13264 ⁰ 84	15634 ⁰ 91	14710 ⁰ 05	16804 ⁰ 10	16350 ⁰ 00
भारित	20 ⁰ 00	6 ⁰ 40	20 ⁰ 00	1 ⁰ 24	20 ⁰ 00	11 ⁰ 16	20 ⁰ 00	2 ⁰ 35	20 ⁰ 00	0 ⁰ 58
2059-लोक निर्माण कार्य	25 ⁰ 00	24 ⁰ 86	25 ⁰ 00	19 ⁰ 51	25 ⁰ 00	19 ⁰ 08	25 ⁰ 00	23 ⁰ 72	25 ⁰ 00	24 ⁰ 30
2216-आवास	10 ⁰ 00	10 ⁰ 00	10 ⁰ 00	1 ⁰ 50	10 ⁰ 00	1 ⁰ 59	10 ⁰ 00	9 ⁰ 52	10 ⁰ 00	5 ⁰ 85
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	289 ⁰ 19	118 ⁰ 44	199 ⁰ 06	76 ⁰ 95	242 ⁰ 60	192 ⁰ 32	313 ⁰ 76	202 ⁰ 96	144 ⁰ 39	139 ⁰ 74
4047-अन्य राज्य कोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00	0 ⁰ 00

सम्पूर्ण योग	12887760	9407756	12637009	12025777	13884715	13488799	16003767	14948760	17003749	16520747
--------------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

19. विभाग की राजस्व प्राप्तियों का विवरण –

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्षक	2012-2013	2013-14	2014-2015	2015-2016	2016-2017
0039-राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व लक्ष्य	10070.00	12500.00	14500.00	17500	19250
राजस्व प्राप्तियां	9782.86	11643.80	13482.32	14083.88	14273.42

परिशिष्ट - 4

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण - दिनांक 31.03.2017

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	पुनरिक्षित वेतन में प्रयोज्य लेबल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आबकारी आयुक्त, (आई०ए०एस०)	37400-67000	10000	14	1	1	-
2	विधि सलाहकार	37400-67000	8900	13 (क)	1	1	-
3	वित्त नियंत्रक	37400-67000	8900	13 (क)	1	0	1
4	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) आई०ए०एस० / पी०सी०एस०	37400-67000	8700	13	1	0	1
5	अपर आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास)	37400-67000	8700	13	1	1	-
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त	15600-39100	7600	12	8	3	5
7	उप आबकारी आयुक्त	15600-39100	6600	11	31	25	6
8	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	37400-67000	7600	13	1	1	-
9	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	37400-67000	6600	13	1	-	1
10	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100	6600	11	1	1	-
11	सहायक आबकारी आयुक्त	15600-39100	5400	10	192	138	54
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100	5400	10	1	1	-
13	प्राविधिक अधिकारी	15600-39100	5400	11	2	2	-
14	सहायक अल्कोहल टैक्नोलोजिस्ट	15600-39100	5400	10	5	4	1
15	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	4800	7	2	-	2
16	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4800	08	1	-	1
17	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	7	5	1	4
18	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	7	9	-	9
19	आबकारी निरीक्षक	9300-34800	4600	7	759	648	111
20	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	9300-34800	4600	7	5	2	3
21	लेखाकार	9300-34800	4200	6	8	2	6
22	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9300-34800	4200	6	9	3	6
23	संख्या सहायक	9300-34800	4200	6	1	-	1

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	पुनरिक्षित वेतन में प्रयोज्य लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त
24	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	6	12	6	6
25	प्रधान सहायक	9300-34800	4200	6	14	—	14
26	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-1	5200-20200	4200	6	1	1	—
27	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	46	17	29
28	प्राविधिक सहायक	9300-34800	4200	6	8	—	8
29	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-3	9300-34800	4600	07	1	1	—
30	आणुलिपिक	5200-20200	2800	5	17	12	5
31	लेखा परीक्षक	5200-20200	2800	5	3	1	2
32	सहायक लेखाकार	5200-20200	2800	5	10	2	8
33	उप आबकारी निरीक्षक	5200-20200	2400	4	158	150	8
34	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	3	325	295	30
35	प्रधान आबकारी सिपाही	5200-20200	2000	3	801	459	342
36	उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	48	29	—
37	उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक	5200-20200	2400	4		18	—
38	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	2000	3	—	1	1
39	ताड़ी पर्यवेक्षक	5200-20200	2000	3	19	9	10
40	कनिष्ठ कम्प्यूटर लिपिक	5200-20200	1900	2	2	2	—
41	वाहन चालक (विशिष्ट श्रेणी)	9300-34800	4600	7	16	6	10
42	वाहन चालक (ग्रेड-1)	9300-34800	4200	6	23	22	1
43	वाहन चालक (ग्रेड-2)	5200-20200	2800	5	32	32	—
44	वाहन चालक (ग्रेड-3)	5200-20200	2400	4	40	38	2
45	वाहन चालक (ग्रेड-4)	5200-20200	1900	2	48	35	13
46	आबकारी सिपाही	5200-20200	1900	2	2141	1737	404
47	विद्युतकार	5200-20200	1900	2	2	2	—
48	दफ्तरी	5200-20200	1800	1	2	2	—
49	जमादार	5200-20200	1800	1	1	1	—
50	मुख्य रसोइयों	5200-20200	1800	1	1	1	—
51	लैब अटेंडन्ट	5200-20200	1800	1	2	1	1
52	सफाईकर्मी (स्वीपर)	5200-20200	1800	1	6	1	5
53	अन्य चतुर्थ श्रेणी	5200-20200	1800	1	162	184	22

परिशिष्ट – 5
(चीनी मिलवार धीरे की उपलब्ध संचय क्षमता का विवरण)

क० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)	क० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)
1.	मवाना	5.00	27.	अमरोहा	1.20
2.	दौराला	4.10	28.	धनौरा	2.60
3.	रमाला	1.79	29.	मझावली	0.84
4.	बागपत	1.20	30.	असमोली	3.98
5.	सकोती	0.89	31.	रामपुर	1.104
6.	मोहिउद्दीनपुर	0.90	32.	बिलासपुर	1.38
7.	मलियाना	0.22	33.	बिजनौर	1.20
8.	शामली	2.80	34.	चौदपुर	1.60
9.	रोहनाकला	0.95	35.	स्योहारा	4.77
10.	मोरना	1.42	36.	धामपुर	5.97
11.	खतौली	3.48	37.	नजीबाबाद	1.80
12.	मंसूरपुर	2.45	38.	बुन्दकी	1.60
13.	तितावी	2.48	39.	बरेली	2.04
14.	बुलन्दशहर	1.20	40.	सेमी खेड़ा	1.36
15.	अनूपशहर	1.38	41.	बहेड़ी	1.99
16.	अगौता	1.20	42.	रोजा	1.47
17.	मोदी	1.50	43.	तिलहर	0.90
18.	सिम्भावली	3.60	44.	पुवायां	0.90
19.	सहारनपुर	1.20	45.	मझोला	1.00
20.	ननौता	2.26	46.	बीसलपुर	1.38
21.	सरसौवा	1.79	47.	पीलीभीत	5.10
22.	देवबन्द	3.05	48.	पूरनपुर	1.35
23.	षाकुम्बरी	1.35	49.	बदायूं	0.88
24.	कस्तूरी	1.28	50.	मीरगंज	2.97
25.	अजुध्या	0.49	51.	न्युली	0.53
26.	हंसनपुर	1.35	52.	छाता	1.44
53.	साथा	0.46	82.	रसड़ा	0.16
54.	घाटमपुर	0.38	83.	षाहगंज	0.12
55.	कायमगंज	0.45	84.	सठियांव	0.45
56.	गोला	5.05	85.	घोसी	0.80
57.	पलिया	6.13	86.	पिपराइच	0.20

क0 सं0	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)	क0 सं0	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)
58.	ऐरा	2.63	87.	सरैया	0.91
59.	बेलरायां	2.70	88.	घुघली	0.34
60.	सम्पूर्णानगर	1.80	89.	सिसवा बाजार	1.20
61.	महमूदाबाद	1.57	90.	आनन्द नगर	0.12
62.	बिसवां	3.14	91.	छितौनी	0.28
63.	हरगांव	5.19	92.	सेवरही	2.03
64.	महोली	0.52	93.	लक्ष्मीगंज	0.40
65.	दरियापुर	0.47	94.	रामकोला (पी)	1.91
66.	हरदोई	0.73	95.	रामकोला (के)	0.42
67.	रामगढ़	2.80	96.	कटकड़यां	0.58
68.	रूपापुर	2.50	97.	कप्तानगंज	1.11
69.	नवाबगंज	0.19	98.	पड़रौना	0.70
70.	तुलसीपुर	3.89	99.	खड्डा	0.70
71.	बलरामपुर	5.49	100.	प्रतापपुर	2.70
72.	बभनान	4.68	101.	देवरिया	0.20
73.	नानपारा	1.50	102.	गौरीबाजार	0.39
74.	जरवल रोड	1.20	103.	भटनी	0.19
75.	सुल्तानपुर	0.65	104.	बैतालपुर	0.27
76.	बाराबंकी	0.75	105.	बस्ती	2.40
77.	बुढवल	0.27	106.	मुण्डेरवा	0.26
78.	रोजागांव	2.70	107.	बाल्टरगंज	1.09
79.	मसौधा	2.77	108.	खलीलाबाद	0.33
80.	नन्दगंज	0.44	109.	मैजापुर	1.11
81.	औरई	0.50	110.	चिलवरिया	1.80
111.	ओसवाल	1.06	136.	लोनी	3.50
112.	धुरियापार	0.50	137.	हरियांव	3.50
113.	अजबापुर	3.67	138.	चन्दनपुर	2.07
114.	मलकपुर	4.00	139.	खाईखेड़ी	0.54
115.	टिकौला	2.65	140.	रजपुरा	2.98
116.	गड़ौरा	2.80	141.	डालमियां (जवाहरपुर)	1.84
117.	कमलापुर	0.40	142.	बृजनाथपुर	1.64
118.	दीवान	0.90	143.	रानीनागल	2.40
119.	दया	2.00	144.	षेरमऊ	1.20
120.	हैदरगढ़	1.80	145.	भिलक नरायनपुर	2.40

क० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)	क० सं०	चीनी मिल का नाम	उपलब्ध संचय क्षमता (लाख कुण्टल में)
121.	किनौनी	5.87	146.	कुम्भी	3.40
122.	भैसाना (बुढाना)	3.70	147.	धनगोही	1.85
123.	थाना भवन	4.10	148.	बेलवारा	1.04
124.	बिलाई	3.75	149.	गुलरिया	3.58
125.	आनन्द एग्रीकेम	0.65	150.	कुन्दुरखी	4.00
126.	उत्तम (बरकतपुर)	2.80	151.	द्वारिकेशधाम	2.04
127.	द्वारिकेशपुरम	2.10	152.	मकसूदापुर	2.91
128.	नंगलामल	2.40	153.	रुदौली	2.40
129.	अकबरपुर	3.46	154.	उतरौला	3.46
130.	पारलेजी	3.07	155.	करीमगंज	1.05
131.	साबितगढ़	2.36	156.	न्यू इण्डिया	2.14
132.	खम्भारखेड़ा	4.00	157.	बघौली	1.20
133.	गागनौली	3.60	158.	यदु	2.17
134.	बारखेड़ा	2.88			
135.	मनकापुर	2.40		योग -	296.494

परिशिष्ट – 6
गत पाँच वर्षों में शीरे के उत्पादन, उठान तथा अवशेष का विवरण
(लाख कुन्टल में)

शीरा वर्ष	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रारम्भिक अवशेष	45.69	26.63	32.53	54.32	63.36	15.02
2. उत्पादन	388.82	424.56	353.61	371.49	308.53	350.00
3. कुल उपलब्धता	434.51	451.19	386.14	425.81	371.89	365.02
4. खपत						
(क) आसवनियों द्वारा	382.22	397.31	325.37	345.15	337.05	181.09
(ख) औद्योगिक इकाई (उत्तराखण्ड राज्य की)	13.76	—	—	—	—	—
(ग) प्रदेश के बाहर (उत्तराखण्ड सहित)	9.88	19.72	3.19	15.88	17.06	2.24
(घ) छीजन	1.73	1.22	1.16	1.37	1.19	0.38
योग	407.59	418.25	329.72	362.40	355.30	183.71
5. अवशेष	26.92	32.94	56.42	63.41	16.59	181.31
6. बिलोग्रेड	0.29	0.41	2.10	0.05	1.57	0.00
7. अवशेष ग्रेडेड	26.63	32.53	54.32	63.36	15.02	181.31

परिशिष्ट - 7

आबकारी अधिनियम की धारा 17, 18 के अन्तर्गत प्रदेश में शीरे पर आधारित 61 आसवनियों को लाइसेंस दिया गया है, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 16170.25 लाख लीटर है। आसवनियों में गत 5 अल्कोहल वर्षों का उत्पादन (मिलियन लीटर में) निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	आसवनी का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (माह मार्च तक)
1.	नेशनल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद	9.21	7.70	5.43	0.15	0
2.	दौराला आसवनी, मेरठ	18.28	15.70	13.59	19.41	8.19
3.	हरगांव आसवनी, सीतापुर	31.08	25.61	28.32	28.90	13.45
4.	रामपुर आसवनी, रामपुर	56.80	50.94	48.76	60.63	24.18
5.	शामली आसवनी, शामली	7.36	6.13	6.16	2.68	0.55
6.	सराया आसवनी, गोरखपुर	21.45	17.27	5.65	11.54	4.09
7.	केसर इण्टरप्राइजेज लि०, बरेली	10.11	7.86	7.73	0	0
8.	मोहन मीकिंग आसवनी, लखनऊ	0	0	0	0	0
9.	को-आपरेटिव कं० लि०, सहारनपुर	0	0	0	0	0
10.	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, यूनिट-मेरठ, मेरठ कैंन्ट, मेरठ	0	0	0	0	0
11.	गोला आसवनी खीरी	18.37	16.75	16.81	14.90	9.71
12.	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	1.29	0	5.53	4.33	1.90
13.	स्यौहारा आसवनी, बिजनौर	23.46	20.33	26.15	27.73	13.23
14.	सिम्भौली आसवनी, हापुड़	17.65	2.08	1.07	9.62	3.95
15.	नारंग आसवनी, गोण्डा	0.000	0	0	0	0
16.	मंसूरपुर आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर	19.20	20.77	24.35	27.79	8.69
17.	मोदी आसवनी, गाजियाबाद	3.43	4.84	2.39	2.59	0.60
18.	उन्नाव डिस्टिलरी, उन्नाव	3.50	3.56	2.97	3.39	1.47
19.	मोहन मीकिन आसवनी, गाजियाबाद	0.000	0	0	0.60	0
20.	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, रोजा, शाहजहाँपुर	00	2.72	0.42	0.02	0
21.	लार्ड्स आसवनी, गाजीपुर	3.39	4.77	5.63	4.58	2.02
22.	जुबिलेण्ट आर्गेनोसिस, अमरोहा	37.00	24.89	19.13	23.73	28.40
23.	मझोला आसवनी, पीलीभीत	0.000	1.73	0.000	0.0	0.0

24.	ननौता आसवनी, सहारनपुर	2.30	3.17	3.57	3.82	2.27
25.	अनूपशहर आसवनी, बुलन्दशहर	1.65	3.76	3.71	4.25	1.29
26.	नानपारा आसवनी, बहराइच	3.73	3.21	3.75	2.58	2.05
27.	कायमगंज आसवनी, फर्रुखाबाद	2.12	2.99	1.66	2.50	0.62
28.	सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली	3.22	7.03	8.89	9.13	3.40
29.	धामपुर आसवनी, बिजनौर	46.64	42.04	52.19	49.89	18.54
30.	सम्पूर्णनगर आसवनी, खीरी	4.14	3.99	5.63	4.86	2.93
31.	सिन्थेटिक आसवनी, बरेली	0.000	0.000	0.000	0	0
32.	घोषी आसवनी, मऊ	2.98	3.11	2.62	4.66	1.87
33.	विजयश्री आसवनी, मथुरा	0.000	0.000	0.000	0	0
34.	बलरामपुर आसवनी, बलरामपुर	29.96	35.51	27.70	33.42	12.18
35.	के0एम0 शुगर मिल्स लि0, फैजाबाद	10.18	10.45	10.01	9.86	5.55
36.	ओसवाल केमि0 एण्ड फर्टिलाजर्स, शाहजहाँपुर	0.000	0.000	0.000	0	0
37.	नीबी स्टील्स लि0, मऊ	0.000	0.000	0.000	0	0
38.	टिकौला आसवनी, मुजफ्फरनगर	6.70	5.87	3.99	4.67	3.42
39.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट-बभनान, गोण्डा	17.99	16.89	15.80	12.84	8.22
40.	पलिया आसवनी, खीरी	14.62	13.62	11.82	13.48	5.14
41.	मोहित पेट्रो केमिकल्स लि0, बिजनौर	10.10	9.71	13.10	11.56	4.08
42.	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	6.28	5.34	0	0	0
43.	द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, बिजनौर	3.44	3.55	4.27	6.64	3.97
44.	किनौनी आसवनी, मेरठ	39.64	29.93	26.64	16.41	9.61
45.	गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद	0.000	0.000	0.000	0	0
46.	आई0जी0एल0, गोरखपुर	59.52	42.37	35.38	27.74	10.25
47.	चिलवरिया आसवनी, बहराइच	10.96	10.08	6.23	7.13	2.86

48.	गांगनौली आसवनी, सहारनपुर	39.43	31.90	31.40	34.13	18.15
49 ^प	खम्भारखेड़ा आसवनी, खीरी	28.31	23.96	22.95	21.85	13.84
50 ^प	त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मुजफ्फरनगर	43.11	42.71	42.20	41.55	19.74
51 ^प	मनकापुर आसवनी, गोण्डा	27.78	28.59	20.96	31.52	10.07
52 ^प	डालमिया आसवनी, सीतापुर	23.15	22.93	22.60	22.40	12.39
53 ^प	रूदौली आसवनी, बस्ती	27.04	28.85	17.84	20.49	13.95
54 ^प	नगलामल आसवनी, मेरठ	13.49	21.16	19.63	21.74	0.48
55 ^प	बिसवां आसवनी, सीतापुर	8.21	9.40	11.03	10.67	8.20
56 ^प	जैन डिस्टिलरी, बिजनौर	9.64	10.40	12.38	13.10	3.27
57 ^प	असमौली डिस्टिलरी, मुरादाबाद	29.28	21.02	22.39	26.50	7.43
58 ^प	बृजनाथपुर (सिम्भावली), गाजियाबाद	16.79	12.77	9.88	10.85	2.28
59 ^प	यू0 वायो केमिकल्स, अलीगढ़	19.11	19.57	24.07	26.14	8.60
60 ^प	उत्तम डिस्टिलरी, बिजनौर	5.75	8.69	17.92	13.44	7.17
	योग	848.84	768.24	732.32	762.40	344.22

परिशिष्ट – 8
प्रदेश में कार्यरत एल0-1 फार्मेशियों का विवरण

क्रमांक	इकाई का नाम	जनपद का नाम	वार्षिक कोटा(ए.एल. में)
1.	एम0डी0 होम्यो लैब प्रा.लि.	गाजीपुर	50000.00
2.	जी0 प्राक्शन एण्ड कं0 लि0	लखनऊ	87875.80
3.	सेलेक्स केमिकल्स प्रा.लि.	लखनऊ	76920.00
4.	इण्डियन केमिकल्स प्रा.लि.	लखनऊ	27000.00
5.	आरपाइक प्रा.लि.	लखनऊ	50263.00
6.	यू.पी.ड्रग हाउस प्रा. लि.	लखनऊ	80000.00
7.	रूप केमिकल्स प्रा. लि.	लखनऊ	70000.00
8.	नार्दन इण्डिया केमिकल्स	मेरठ	72000.00
9.	एस.बी.एल.प्रा. लि0,	गाजियाबाद	25000.00
10.	वार्डेक्स फार्मास्युटिकल्स	गाजियाबाद	70000.00
11.	जिश्नू फार्मास्युटिकल्स, प्रा0 लि0	गाजियाबाद	36000.00
12.	मोदी रेवलॉन, मोदीनगर	गाजियाबाद	396000.00
13.	डाबर इण्डिया लि0	गाजियाबाद	0.00
14.	डॉ0 विलमर श्वाबे (इण्डिया)	गौतमबुद्धनगर	300000.00
15.	बी.एस.दत्ता मैनुफैक्चर्स	आगरा	72000.00
16.	कोटिया ड्रग हाउस	हाथरस	60000.00
17.	विजय कैमिकल्स प्रा. लि.	अलीगढ़	90000.00
18.	कर्ण प्रकाश लेबोरेट्रीज	हाथरस	99000.00
19.	पारूल होम्यो लेबोरेट्रीज	कानपुर नगर	40000.00
20.	विन्सन परफ्यूम प्रा0 लि0	गौतमबुद्धनगर	240000.00
		योग	1902058.8

परिशिष्ट – 9
प्रदेश में कार्यरत पार्टटाइम एल0-1 इकाइयों का विवरण

क्रमांक	फार्मसी का नाम	जनपद का नाम	वार्षिक अल्कोहल कोटा (ए0एल0 में)
1.	वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, लि., इलाहाबाद	इलाहाबाद	3600
2.	मिश्रा आयुर्वेदिक फार्मसी, इलाहाबाद	इलाहाबाद	0
3.	सारस्वत फार्मा, ट्रान्सपोर्टनगर	इलाहाबाद	0
4.	गुप्ता फार्मास्यूटिकल्स	इलाहाबाद	0
5.	रजत फार्मा गदो फाफामरू	इलाहाबाद	0
6.	ओम फार्मा, फतेहपुर	फतेहपुर	0
7.	अरोरा यूनानी फार्मसी, कानपुर	कानपुर	0
8.	आइडियल केमिकल, कानपुर	कानपुर	0
9.	निट फार्मा, कानपुर	कानपुर	0
10.	हिन्द केमिकल, कानपुर	कानपुर	0
11.	आर.डी. आयुर्वेदिक फार्मसी, औरैया	औरैया	0
12.	दवाखाना तिब्बिया कालेज, अलीगढ़	अलीगढ़	0
13.	आशा फार्मसी, मथुरा	मथुरा	0
14.	वैद्यनाथ फार्मसी, झांसी	झांसी	0
15.	बडेरिया फार्मा. टरननगंज, कालपी	जालौन	0
16.	मोदी मुण्डी फार्मा. लि0, मेरठ	मेरठ	0
17.	हमदर्द वक्फ, गाजियाबाद	गाजियाबाद	0
18.	निरोग फार्मा, गाजियाबाद	गाजियाबाद	0
19.	जनरल फार्मा0 एण्ड केमिकल्स वक्र्स,	लखनऊ	9972
20.	त्रिकाल आयुर्वेदिक केमिकल लैब, लखनऊ	लखनऊ	0
21.	ए0एन0 फार्मास्यूटिकल्स, रायबरेली	रायबरेली	0
22 ^प	ओम आयुर्वेदिक कम्पनी, टडियावा, हरदोई	हरदोई	0
23 ^प	बाम्बे ड्रग इण्डस्ट्रीज, बलिया	बलिया	0
24 ^प	भारद्वाज आयुर्वेदिक केमिकल लैब, बरेली	बरेली	0
25 ^प	सतगुरु साई फार्मसी, चन्दौली	चन्दौली	0

26 ^प	ए0आर0 आयुर्वेदिक लैब, लखनऊ	लखनऊ	0
27 ^प	पी0एन0 फार्मा, सीतापुर	सीतापुर	0
28 ^प	गंगा हर्बल, बेथर, उन्नाव	उन्नाव	0
29 ^प	गुप्ता फार्मा, कानपुर देहात	कानपुर देहात	0
30 ^प	सत्यम फार्मा, कानपुर नगर	कानपुर नगर	0
31 ^प	रैक्स (यू0 एण्ड ए0) रेमेडीज प्रा0 लि0	गौतमबुद्ध नगर	0
32 ^प	अम्बा आयुर्वेदिक फार्मसी,	उन्नाव	0
33 ^प	शर्मा आयुर्वेद मन्दिर	झांसी	0
34 ^प	राज योग फार्मा	फतेहपुर	0
35 ^प	अमन फार्मा	उन्नाव	0
36 ^प	अंजनी फार्मा	उन्नाव	0
37 ^प	शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज	बदायूं	0
38 ^प	सन इण्डिया फार्मा	जालौन	0
39 ^प	हर्ष फार्मस्युटिकल्स	कानपुर देहात	0
40 ^प	राम शिव	उन्नाव	0
41 ^प	ओम फार्मा	कानपुर देहात	0
42 ^प	एम0एम0 फार्मा	उन्नाव	0
43 ^प	डॉ0 सहाय लेबोरेटरी	उन्नाव	0
44 ^प	चैन फार्मा	अमरोहा	0
45 ^प	तनसुख बल	लखनऊ	0
	योग		13572

परिशिष्ट-10

वर्ष 2016-17 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित फुटकर भांग दुकानों के लिये
जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण

क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (कि०ग्रा०में)	क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (कि०ग्रा०में)
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	42080	23	हरदोई	13690
2	चन्दौली	7274	24	खीरी	7880
3	गाजीपुर	5840	25	रायबरेली	193138
4	जौनपुर	6700	26	सीतापुर	10500
5	इलाहाबाद	23263	27	उन्नाव	17020
6	कौशाम्बी	6680	28	फैजाबाद	4200
7	फतेहपुर	15600	29	बाराबंकी	1400
8	प्रतापगढ़	4285	30	सुलतानपुर	4560
9	मिर्जापुर	14500	31	अम्बेडकरनगर	2508
10	सोनभद्र	15210	32	अमेठी	1429
11	सन्त रविदास नगर	4800	33	गोण्डा	3384
12	आजमगढ़	2900	34	बहराइच	2470
13	बलिया	1200	35	बलरामपुर	1736
14	मऊ	1325	36	श्रावस्ती	360
15	गोरखपुर	4300	37	मेरठ	6570
16	देवरिया	322	38	बागपत	1586
17	महराजगंज	460	39	बुलन्दशहर	4060
18	कुशीनगर	278	40	गाजियाबाद	3660
19	बस्ती	930	41	हापुड़	0
20	सिद्धार्थनगर	474	42	गौतमबुद्धनगर	1000
21	सन्त कबीर नगर	183	43	मुरादाबाद	2016
22	लखनऊ	31572	44	सम्भल	1710
45	अमरोहा	388	61	एटा	1736
46	रामपुर	0	62	काशगंज	2160
47	बिजनौर	1110	63	कानपुर नगर	46000
48	सहारनपुर	1950	64	कानपुर देहात	3216
49	मुजफ्फरनगर	2650	65	इटावा	3150

50	शामली	2820	66	औरैया	3251
51	बरेली	5060	67	फर्रुखाबाद	2832
52	बदायूं	1050	68	कन्नौज	1590
53	पीलीभीत	2340	69	झांसी	11200
54	शाहजहांपुर	4500	70	जालौन	3300
55	आगरा	28430	71	ललितपुर	6240
56	फिरोजाबाद	5150	72	बॉदा	4400
57	मथुरा	45696	73	चित्रकूट	1800
58	मैनपुरी	2340	74	हमीरपुर	4300
59	अलीगढ़	5731	75	महोबा	2450
60	हाथरस	5750	प्रदेश योग		687643

परिशिष्ट-11

वर्ष 2016-17 में प्रदेश में स्वीकृत देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं माडल शाप की दुकानों का विवरण (जी-12ग विवरण वर्ष 2016-2017 के व्यवस्थित दुकानों के आधार पर)

क0 सं0	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	भांग	माडलशाप
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	305	166	144	85	9
2	चन्दौली	105	70	57	52	4
3	गाजीपुर	205	81	72	89	3
4	जौनपुर	272	100	83	91	1
	वाराणसी प्रभार	887	417	356	317	17
5	इलाहाबाद	404	182	168	167	12
6	कौशाम्बी	68	44	34	42	0
7	फतेहपुर	272	69	56	62	0
8	प्रतापगढ़	228	74	61	107	2
	इलाहाबाद प्रभार	972	369	319	378	14
9	मिर्जापुर	185	62	51	69	0
10	सोनभद्र	128	58	48	34	1
11	सन्त रविदास नगर	136	42	31	28	2
	मिर्जापुर प्रभार	449	162	130	131	3
	वाराणसी जोन	2308	948	805	826	34
12	आजमगढ़	290	128	102	47	2
13	बलिया	142	46	47	35	2
14	मऊ	149	57	57	23	4
	आजमगढ़ प्रभार	581	231	206	105	8
15	गोरखपुर	277	112	101	43	10
16	देवरिया	162	82	83	20	5
17	महराजगंज	161	49	44	19	2
18	कुशीनगर	196	70	60	17	6
	गोरखपुर प्रभार	796	313	288	99	23
19	बस्ती	186	60	65	26	2
20	सिद्धार्थनगर	148	55	48	8	3
21	सन्त कबीर नगर	106	45	40	9	1
	बस्ती प्रभार	440	160	153	43	6
	गोरखपुर जोन	1817	704	647	247	37
22	लखनऊ	453	176	162	44	51
23	हरदोई	366	82	58	64	0
24	खीरी	264	98	68	18	2
25	रायबरेली	277	103	70	184	8
26	सीतापुर	357	73	39	33	4
27	उन्नाव	318	85	64	95	7
	लखनऊ प्रभार	2035	617	461	438	72
28	फैजाबाद	203	73	54	42	2

29	बाराबंकी	229	87	72	53	8
30	सुल्तानपुर	135	65	48	65	1
31	अम्बेडकरनगर	156	38	30	33	4
32	अमेठी	126	37	23	25	1
	फैजाबाद प्रभार	849	300	227	218	16
33	गोण्डा	178	83	59	35	5
34	बहराइच	192	60	54	54	1
35	बलरामपुर	128	29	20	16	1
36	श्रावस्ती	62	25	25	7	0
	देवीपाटन प्रभार	560	197	158	112	7
	लखनऊ जोन	3444	1114	846	768	95
37	मेरठ	172	104	97	14	14
38	बगपत	94	38	37	3	1
39	बुलन्दशहर	199	93	102	15	7
40	गाजियाबाद	200	94	92	8	50
41	गौतमबुद्धनगर	211	115	128	1	23
42	हापुड	114	44	44	0	9
	मेरठ प्रभार	990	488	500	41	104
43	मुरादाबाद	156	56	58	7	1
44	जे०पी०नगर	106	40	34	3	2
45	रामपुर	159	43	46	0	7
46	बिजनौर	186	90	67	8	5
47	सम्भल	124	25	21	10	1
	मुरादाबाद प्रभार	731	254	226	28	16
48	सहारनपुर	195	89	71	9	3
49	मुजफ्फरनगर	156	65	59	8	7
50	शामली	75	27	22	6	4
	सहारनपुर प्रभार	426	181	152	23	14
51	बरेली	359	89	63	29	9
52	बदायूं	251	57	38	43	2
53	पीलीभीत	243	33	24	8	1
54	शाहजहांपुर	201	55	38	20	1
	बरेली प्रभार	1054	234	163	100	13
	मेरठ जोन	3201	1157	1041	192	147
55	आगरा	300	218	195	41	26
56	मथुरा	194	202	226	59	10
57	फिरोजाबाद	296	145	103	28	5
58	मैनपुरी	196	73	45	21	0
	आगरा प्रभार	986	638	569	149	41
59	अलीगढ़	219	102	101	21	11
60	हाथरस	57	34	28	11	0
61	एटा	186	52	36	14	3
62	काशगंज	116	40	30	12	3
	अलीगढ़ प्रभार	578	228	195	58	17

63	कानपुर नगर	329	219	162	70	10
64	कानपुर देहात	165	59	43	15	4
65	इटवा	140	52	51	6	0
66	औरैया	72	33	29	19	0
67	फरुखाबाद	191	57	43	27	1
68	कन्नौज	149	41	34	26	3
	कानपुर प्रभार	1046	461	362	163	18
69	झांसी	231	67	57	22	4
70	जालौन	195	62	41	23	2
71	ललितपुर	81	35	22	10	5
	झांसी प्रभार	507	164	120	55	11
72	बांदा	126	53	38	24	2
73	चित्रकूट	57	29	27	14	0
74	हमीरपुर	158	46	31	20	0
75	महोबा	96	35	22	14	0
	चित्रकूटधाम प्रभार	437	163	118	72	2
	आगरा जोन	3554	1654	1364	497	89
	प्रदेश योग	14324	5577	4703	2530	402

परिशिष्ट-12

वर्ष 2016-17 में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण
(जी-12ग विवरण वर्ष 2016-17 के व्यवस्थित दुकानों के आधार पर)

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी मदिरा		बीयर		मादल शाप	
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू.	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू. पर निर्धारित/ जमा बेसिक लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वाराणसी	305	9871525	246788125	166	170407795	144	52475000	9	26835000
2	चन्दौली	105	2445319	61132975	70	28355000	57	7820000	4	11195000
3	गाजीपुर	205	4933816	123345400	81	34366000	72	10130000	3	7265000
4	जौनपुर	272	5874650	146866250	100	55685000	83	15635000	1	2915000
	वाराणसी प्रभार	887	23125310	578132750	417	288813795	356	86060000	17	48210000
5	इलाहाबाद	404	7465931	187148275	182	135546211	168	41395000	12	46325000
6	कौशाम्बी	68	475773	11894325	44	12370000	34	4239267	0	0
7	फतेहपुर	272	3220040	80501000	69	32705000	56	8905000	0	0
8	प्रतापगढ़	228	2250979	56274475	74	25732225	61	7197311	2	3350000
	इलाहाबाद प्रभार	972	13432723	335818075	369	206353436	319	61736578	14	49675000
9	मिर्जापुर	185	2452082	61302050	62	36505000	51	10546900	0	0
10	सोनभद्र	128	1469406	36735150	58	32970713	48	15181602	1	1676000
11	सन्त रविदास नगर	136	1709329	42733225	42	16751100	31	5725000	2	2625000
	मिर्जापुर प्रभार	449	5630817	140770425	162	86226813	130	31453502	3	4301000
	वाराणसी जोन	2308	42188850	1054721250	948	581394044	805	179250080	34	102186000
12	आजमगढ़	290	6780470	169511750	128	57838455	102	14015600	2	4050000
13	बलिया	142	2181115	54527875	46	37022500	47	5890000	2	3625000
14	मऊ	149	2845980	71149500	57	25715000	57	8470000	4	7740000
	आजमगढ़ प्रभार	581	11807565	295189125	231	120575955	206	28375600	8	15415000
15	गोरखपुर	277	6582055	164551375	112	106783887	101	37556101	10	23335000
16	देवरिया	162	5398465	134961625	82	58369000	83	18811555	5	15615000
17	महाराजगंज	161	3720738	93018450	49	18387110	44	7348159	2	3462000
18	कुशीनगर	196	4528603	113215075	70	34212267	60	7000000	6	11905000
	गोरखपुर प्रभार	796	20229861	505746525	313	217752264	288	70715815	23	54317000
19	बस्ती	186	3724226	93105650	60	29507600	65	5566000	2	4955000
20	सिद्धार्थनगर	148	2332287	58307175	55	17729100	48	6986000	3	5060000
21	सन्त कबीर नगर	106	1840611	46015275	45	11950000	40	4325000	1	1555000
	बस्ती प्रभार	440	7897124	197428100	160	59186700	153	10589600	6	11570000
	गोरखपुर जोन	1817	39934550	998363750	704	397514919	647	109681015	37	81302000

परिशिष्ट-12

वर्ष 2016-17 में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण
(जी-12ग विवरण वर्ष 2016-17 के व्यवस्थित दुकानों के आधार पर)

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी मदिरा		बीयर		माडल शाप	
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू.	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू. पर निर्धारित/ जमा बेसिक लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	लखनऊ	453	18065615	431640375	176	424852000	162	81081000	51	191263000
23	हरदोई	366	4047041	101176025	82	39028000	58	9939251	0	0
24	खीरी	264	2281479	57036975	98	50878151	68	12541100	2	5350000
25	रायबरेली	277	2352376	58809400	103	26511801	70	9927388	8	12930000
26	सीतापुर	357	3878950	96973750	73	32007000	39	7800000	4	8465000
27	उन्नाव	318	4749261	118731525	85	32226000	64	8750000	7	16960000
	लखनऊ प्रभार	2035	35374722	884368050	617	405502952	461	130038739	72	234968000
28	फैजाबाद	203	2632600	70815000	73	35798600	54	11355000	2	4470000
29	बाराबंकी	229	3514914	87872850	87	24841700	72	10967111	8	15860200
30	सुलतानपुर	135	2034961	50874025	65	29680500	48	10692111	1	1555000
31	अम्बेडकरनगर	156	3970350	99258750	38	17346000	30	3910000	4	6220000
32	अमेठी	126	1099018	27475450	37	14277000	23	3250000	1	1555000
	फैजाबाद प्रभार	849	13451843	336296075	300	121943800	227	40274222	16	29660200
33	गोण्डा	178	1747942	43698550	83	31122203	59	14688906	5	11230000
34	बहराइच	192	411160	10279000	60	22934000	54	11536000	1	3020000
35	बलरामपुर	128	1754860	43871500	29	12725000	20	6120000	1	200000
36	श्रावस्ती	62	552010	13800250	25	7035000	25	2585000	0	0
	देवीपाटन प्रभार	560	4465972	111649300	197	73816203	158	34929906	7	14450000
	लखनऊ जोन	3444	53292537	1332314325	1114	601262955	846	205142867	95	279078200
37	मेरठ	172	10250380	256259500	104	218290000	97	56390000	14	56980000
38	बागपत	94	2114420	52860500	38	67120000	37	15745000	1	4070000
39	बुलन्दशहर	199	9410500	235262500	93	128505000	102	31975000	7	26605000
40	गाजियाबाद	200	11835580	295889500	94	194040000	92	92135000	50	203500000
41	गौतमबुद्धनगर	211	7886180	197154500	115	185530000	128	72315000	23	93610000
42	हापुड़	114	3539900	88497500	44	61970000	44	16345000	9	33410000
	मेरठ प्रभार	990	45036960	1125924000	488	855455000	500	244905000	104	418175000
43	मुरादाबाद	156	6084560	152114000	56	99170000	58	19060000	1	4070000
44	अमरोहा	106	3536830	88420750	40	34845000	34	8310000	2	8140000
45	रामपुर	159	2697340	67433500	43	17460000	46	4870000	7	12860000

परिशिष्ट-12

वर्ष 2016-17 में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण
(जी-12ग विवरण वर्ष 2016-17 के व्यवस्थित दुकानों के आधार पर)

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी मदिरा		बीयर		माडल शाप	
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू.	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू. पर निर्धारित / जमा बेसिक लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	बिजनौर	186	6813060	170326500	90	101180000	67	19720000	5	17280000
47	सम्भल	124	3685230	92130750	25	30390000	21	4240000	1	3260000
	मुरादाबाद प्रभार	731	22817020	570425500	254	283045000	226	56200000	16	45610000
48	सहारनपुर	195	7004700	175117500	89	121450000	71	25170000	3	10790000
49	मुजफ्फरनगर	156	4984400	124610000	65	67555000	59	22480000	7	20520000
50	शामली	75	1596880	39922000	27	18765000	22	5150000	4	11185000
	सहारनपुर प्रभार	426	13585980	339649500	181	207770000	152	52800000	14	42495000
51	बरेली	359	9107530	227688250	89	93545000	63	19470000	9	29085000
52	बदायूं	251	4832340	120808500	57	41230000	38	6150000	2	5770000
53	पीलीभीत	243	2388320	59708000	33	23275000	24	4210000	1	3290000
54	शाहजहांपुर	201	3645230	91130750	55	56235000	38	8010000	1	4070000
	बरेली प्रभार	1054	19973420	499335500	234	214285000	163	37840000	13	42215000
	मेरठ जोन	3201	101413380	2535334500	1157	1580555000	1041	391745000	147	548495000
55	आगरा	300	11682045	292051125	218	267436559	195	98514908	26	89080001
56	फिरोजाबाद	296	5029267	125731675	145	96554197	103	30827000	5	10768000
57	मथुरा	194	2537020	63425500	202	103861184	226	65541673	10	23352000
58	मैनपुरी	196	2192149	54803725	73	49878901	45	13405000	0	0
	आगरा प्रभार	986	21440481	536012025	638	517730841	569	208288581	41	123200001
59	अलीगढ़	219	7580393	189509825	102	135531026	101	48532811	11	29096974
60	हाथरस	57	3019540	75488500	34	58760000	28	25670000	0	0
61	एटा	186	2749050	68726250	52	33049786	36	7915000	3	7125000
62	काशगंज	116	1913062	47826550	40	14040100	30	4195000	3	4666000
	अलीगढ़ प्रभार	578	15262045	381551125	228	241380912	195	86312811	17	40887974
63	कानपुर नगर	329	16934690	423367250	219	333936199	162	79085000	10	33465000
64	कानपुर देहात	165	3284168	82104200	59	28946000	43	6945000	4	6830000
65	इटवा	140	3096300	77407500	52	36420000	51	10706100	0	0
66	औरैया	72	2142340	53558500	33	27977000	29	8060000	0	0
67	फर्रुखाबाद	191	3504345	87608625	57	41932000	43	10518102	1	3211000

परिशिष्ट-12

वर्ष 2016-17 में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण
(जी-12ग विवरण वर्ष 2016-17 के व्यवस्थित दुकानों के आधार पर)

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी मदिरा		बीयर		मादल शाप	
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू	वास्तविक व्यवस्थित एम.जी. क्यू पर निर्धारित/ जमा बेसिक लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वास्तविक व्यवस्थित लाइसेंस फीस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	कन्नौज	149	3271603	81790075	41	24780000	34	5775000	3	4950000
	कानपुर प्रभार	1046	32233446	805836150	461	493991199	362	121089202	18	48456000
69	झांसी	231	3210580	80264500	67	54056902	57	19760000	4	12005001
70	जालौन	195	3056415	76410375	62	30240000	41	9340000	2	3910000
71	ललितपुर	81	1660918	41522950	35	16300990	22	4175000	5	11590000
	झांसी प्रभार	507	7927913	198197825	164	100597892	120	33275000	11	27505001
72	बाँदा	126	2081680	52042000	53	35478163	38	8726001	2	4570031
73	चित्रकूट	57	701014	17525350	29	14004750	27	4171000	0	0
74	हमीरपुर	158	1773591	44339775	46	15849300	31	4297050	0	0
75	महोबा	96	1438137	35953425	35	13660500	22	5135000	0	0
	चित्रकूटधाम प्रभार	437	5994422	149860550	163	78992713	118	22329051	2	4570031
	आगरा जोन	3554	82858307	2071457675	1654	1432689557	1364	471294645	89	244619007
	प्रदेश योग	14324	319687624	7992190600	5577	4573420475	4703	1357213807	402	1256680207

परिशिष्ट – 13

वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा की थोक बिक्री एवं विकृत स्पिरिट के अनुज्ञापन के प्रकार व उनकी संख्या का (प्रभारवार) विवरण

क्रम सं०	प्रकार	एफ० एल०-2	एफ०एल०-2बी	एफ० एल०-2डी	बी०डब्लू० एफ० एल०-2ए	बी०डब्लू० एफ० एल०-2बी	बी०डब्लू० एफ० एल०-2सी	बी०डब्लू० एफ० एल०-2डी	एफ०एल०-16	एफ०एल०-17
1	वाराणसी	4	6	0	0	0	0	0	5	42
2	इलाहाबाद	4	4	0	0	0	0	0	8	57
3	मिर्जापुर	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	आजमगढ़	3	3	0	0	0	0	0	1	10
5	गोरखपुर	4	4	0	0	0	0	0	5	17
6	बस्ती	3	3	0	0	0	0	0	1	3
7	लखनऊ	7	7	4	1	4	0	0	11	87
8	फैजाबाद	6	6	0	0	0	0	0	4	21
9	देवीपाटन	4	4	0	0	0	0	0	3	27
10	मेरठ	6	6	9	5	5	3	1	4	25
11	मुरादाबाद	5	5	0	0	0	0	0	6	29
12	सहारनपुर	3	3	0	0	0	0	0	6	22
13	बरेली	4	4	0	3	0	0	0	3	32
14	आगरा	4	4	3	0	0	1	0	3	20
15	अलीगढ़	4	4	0	0	6	0	0	1	2
16	कानपुर	6	6	1	0	0	0	0	7	30
17	झांसी	4	4	0	0	0	0	0	3	5
18	चित्रकूट	4	4	0	0	0	0	0	0	3
	योग	78	80	17	9	15	4	1	71	432

नोट—1-वर्ष 2016-17 में प्रदेश में सी०एल०-1बी के 05 थोक अनुज्ञापन जोनवार स्वीकृत हैं।

2-वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 75 जनपदों में सी०एल०-1सी के 75 थोक अनुज्ञापन स्वीकृत हैं।

परिशिष्ट – 14

विभिन्न मादक पदार्थों के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2016-17 की लाइसेंस फीस/प्रणाली का संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	मादक पदार्थ का नाम	प्रचलित प्रणाली	लाइसेंस के प्रकार	लाइसेंस फीस की दर	प्रतिभूति धनराशि	
(क)	विदेशी मदिरा/बीयर	थोक बिक्री प्रणाली	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2ए	7,00,000/-	4,00,000/-	
			बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2बी	5,00,000/-	2,00,000/-	
			बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2सी	50,000/-	25,000/-	
			बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2डी	25,000/-	10,000/-	
1	देशी शराब	लाइसेंस प्रणाली	1-सी०एल०-1बी जोनवार 2-सी०एल०-1सी जनपदवार	रु० 15.10 करोड़ प्रति अनुज्ञापन रु० 2.25 लाख प्रति अनुज्ञापन	रु० 1.51 करोड़ प्रति अनुज्ञापन रु० 22500 प्रति अनुज्ञापन	
2	भांग	टेण्डर प्रणाली	आई०डी०-1/3	निशुल्क		
3	विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन					
(1)	एफ०एल०-1/1ए		4,00,000/- (वर्ष या वर्ष के भाग के लिए)		40,000/-	
(2)	एफ०एल०-2 बी	अनुज्ञापन वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बीयर की बोतलों (650 एम०एल०) की संख्या				
		10,00,000 बोतलों तक	4.25 लाख		42,500/-	
		10,00,000 से 20,00,000 बोतल तक	8.50 लाख		85,000/-	
		20,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	12.75 लाख		1,27,500/-	
		30,00,000 से 40,00,000 बोतल तक	16.95 लाख		1,69,500/-	
		40,00,000 से 50,00,000 बोतल तक	39.95 लाख		2,12,000/-	
		50,00,000 बोतल से अधिक	25.45 लाख		2,54,500/-	
(3)	एफ०एल०-2	अनुज्ञापन वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम०एल०) की संख्या				
		7,00,000 बोतलों तक	6.70 लाख		67,000/-	
		7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	13.35 लाख		1,33,500/-	
		15,00,000 से 25,00,000 बोतल तक	26.65 लाख		2,66,500/-	
		25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	39.95 लाख		3,99,500/-	
		30,00,000 बोतल से अधिक	53.25 लाख		5,32,500/-	
(4)	एफ०एल०-2डी (समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा)		5,00,000.00	50,000/-		

क्रमांक	मादक पदार्थ का नाम	व्यवस्थापन प्रणाली	लाइसेंस का प्रकार
1	देशी शराब	नवीनीकरण/लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	सी०एल०-5सी

2	भाँग	टेण्डर सह नीलामी प्रणाली न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा सहित	आई0डी0-14ए
3	(अ) विदेशी मदिरा	नवीनीकरण/लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	एफ0एल0-5डी
	(ब) बीयर	नवीनीकरण/लाटरी द्वारा व्यवस्थापन	एफ0एल0-5बी
	(स) वाइन '	एफ0एल0-5डी अनुज्ञापनों के माध्यम से	एफ0एल0-5सी
4	बार अनुज्ञापन "	1. निर्धारित लाइसेंस फीस पर	

नोट :- ' विदेशी मदिरा की दुकानों पर वाइन विक्रय हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।
" बार अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीस का विवरण परिशिष्ट-14(स) में दिया गया है ।

परिशिष्ट - 14 (अ)

वर्ष 2016-17 के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की श्रेणियाँ, प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क्रम सं०	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम०एल०) (ई)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम०एल०) (डी)	थोक विक्रेता का मार्जिन (डब्लू एम)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (आर एम)	एम०आर०पी० का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 से 100 तक	इकोनामी	जी.जी.जी.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 42.5:	रु० 2.75 + ई.डी.पी. का 3.25:	रु० 60 + ई.डी.पी. का 11:	कालम 2+5+6+7 का योग
2	100 से अधिक 200 तक	मीडियम	एफ.एफ.एफ.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 8.5:	रु० 4.25 + ई.डी.पी. का 2.05:	रु० 65 + ई.डी.पी. का 10:	कालम 2+5+6+7 का योग
3	200 से अधिक 300 तक	रेगुलर	ई.ई.ई.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 8.5:	रु० 4.50 + ई.डी.पी. का 2.05:	रु० 70 + ई.डी.पी. का 10:	कालम 2+5+6+7 का योग
4	300 से अधिक 400 तक	सेमी प्रीमियम	डी.डी.डी.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 8.5:	रु० 4.75 + ई.डी.पी. का 2.00:	रु० 70 + ई.डी.पी. का 10:	कालम 2+5+6+7 का योग
5	400 से अधिक 500 तक	प्रीमियम	सी.सी.सी.	रु० 210 + ई.डी.पी. का 80:	रु० 4.75 + ई.डी.पी. का 2.00:	रु० 80 + ई.डी.पी. का 8:	कालम 2+5+6+7 का योग
6	500 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	बी.बी.बी.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 72:	रु० 4.75 + ई.डी.पी. का 2.00:	रु० 80 + ई.डी.पी. का 8:	कालम 2+5+6+7 का योग
7	600 से अधिक	स्कॉच	ए.ए.ए.	रु० 200 + ई.डी.पी. का 68:	रु० 4.75 + ई.डी.पी. का 2.00:	रु० 80 + ई.डी.पी. का 7:	कालम 2+5+6+7 का योग

परिशिष्ट – 14 (ब)

- वर्ष 2016-17 हेतु बीयर, ऐल, कम तीव्रता के मादक पेय (5 प्रतिशत वी/वी या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं पोर्टर, साइडर व अन्य फरमेन्टेड लिकर

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई0बी0पी0) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/ एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (ई)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0)	थोक बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य (प्रति बोतल 650मि.ली.)
:1द	:2द	:3द	:4द	:5द	:6द
0 से 50/- तक	एम.बी.ई.	ई0बी0पी0 का 95 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग
50/- से अधिक 60/- तक	एम.बी.आर.	ई0बी0पी0 का 113 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग
60/- से अधिक	एम.बी.पी.	ई0बी0पी0 का 115 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग

2. बीयर (5 प्रतिषत वी/वी से अधिक और 8 प्रतिषत वी/वी तीव्रता की अल्कोहल तक) एवं कम तीव्रता के मादक पेय (5 प्रतिषत वी/वी से अधिक और 10 प्रतिषत वी/वी तीव्रता की अल्कोहल तक)

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई0बी0पी0) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/ एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (ई)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0)	थोक बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य (प्रति बोतल 650मि.ली.)
:1द	:2द	:3द	:4द	:5द	:6द
0 से 50/- तक	एस.बी.ई.	ई0बी0पी0 का 105 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग
50/- से अधिक 60/- तक	एस.बी.आर.	ई0बी0पी0 का 126 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग
60/- से अधिक	एस.बी.पी.	ई0बी0पी0 का 137 प्रतिषत	रु0 1७75	रु0 16७00	कालम 1345 का योग

परिशिष्ट – 15

प्रतिफल फीस की दर का विवरण

क्र0सं0	मद का प्रकार	2016-2017
1	देशी शराब	प्रतिफल फीस की दर रु0 में
	(1) 25 प्रतिषत वी0/वी0 तीव्रता	रु0 72.00 प्रति बो0ली0

	(2) 28 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 175.78 प्रति ब०ली०
	(3) 36 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 226.00 प्रति ब०ली०
	(4) 42.8 प्रतिशत वी०/वी० तीव्रता	रु० 268.69 प्रति ब०ली०
2	भाँग	रु० 20.00 प्रति कि०ग्रा०
3	विदेशी मदिरा	अब श्रेणीवार निर्धारित है, जिसकी सूची परिशिष्ट – 14 (अ) में संलग्न है।
4	बीयर	अब श्रेणीवार निर्धारित है, जिसकी सूची परिशिष्ट – 14 (ब) में संलग्न है।
सेना को आपूर्ति प्रतिफल फीस की दर का विवरण		
क्र०सं०	मद का प्रकार	2015-2016
1	एफ०एल०-9	सिविल के लिए निर्धारित प्रतिफल फीस का आधा
2	एफ०एल०-9ए	रु० 53.33 प्रति बल्क लीटर या रु० 40/- प्रति बोतल रियायती रम की बिक्री हेतु

परिशिष्ट – 16
निर्यात फीस की दरों का विवरण

क्रम सं०	प्रकार	2016-2017
1	शोधित आसव	2.50 प्रति ब०ली०
2	ई०एन०ए०	3.00 प्रति ब०ली०
3	एब्सोल्यूट अल्कोहल	3.00 प्रति ब०ली०
4	विशेष विकृत सुरा	1.00 प्रति ब०ली०
5	देशी मदिरा (निर्यात शुल्क)	10.00 प्रति अ०ली०
6	विदेशी मदिरा (बोतल में)	3.67 प्रति अ०ली०
7	विदेशी मदिरा (ब०ली० में)	6.00 प्रति ब०ली०
8	बीयर	1.00 प्रति ब०ली०
9	रम (भारतीय सेना को)	0.72 प्रति अ०ली०

10	माल्ट स्प्रिट	6.00 प्रति ब०ली०
11	भाँग	4.00 प्रति कि०ग्रा०

अल्कोहल पर आयात परमिट फीस

उ०प्र० में अल्कोहल पर आयात परमिट फीस रु० 1.50 प्रति लीटर निर्धारित की गयी है।

परचेज टैक्स

परचेज टैक्स की प्रचलित 2 श्रेणियों को समाप्त कर केवल एक ही श्रेणी रु० 0.80 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

डिनेचुरेशन फीस

सभी प्रकार की विकृत स्प्रिट (एफ०एल०-16, 17, 39, 40, 41 व पावर अल्कोहल सहित, निर्यात की जाने वाली विकृत सुरा) पर 15 पैसे प्रति लीटर डिनेचुरेशन फीस निर्धारित किया गया है।

निर्यात परमिट फीस

- 1-4-2005 से विकृत अल्कोहल व पावर अल्कोहल पर निर्यात फीस रुपया 1.00 प्रति लीटर निर्धारित है।
- 2007-2008 से रेक्टिफाइड स्प्रिट व ई०एन०ए० पर निर्यात परमिट फीस निम्नानुसार है:-
 1. रेक्टिफाइड स्प्रिट-रु० 2.50 प्रति लीटर
 2. एक्सल्यूट अल्कोहल/ई०एन०ए०-रु० 3.00 प्रति लीटर

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की आयात परमिट फीस निम्नानुसार है:-

(1) समुद्रपार से आयातित स्प्रिट

एक्स कस्टम बाण्डेड मूल्य	परमिट फीस 2016-2017
रु० 0 से 600/- तक	1090/- प्रति बल्क लीटर
रु० 600/- से अधिक	1140/- प्रति लीटर

(2) समुद्रपार से आयातित वाइन

रु० 66.66 प्रति लीटर या एम०आर०पी० का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(3) समुद्रपार से आयातित बीयर

- (क) 5 प्रतिशत (वी/वी) तीव्रता तक रु० 120/- 650 एम०एल० की प्रति बोतल
- (ख) 5 प्रतिशत (वी/वी) तीव्रता से अधिक रु० 110/- 650 एम०एल० की प्रति बोतल एवं 8 प्रतिशत (वी/वी) तीव्रता तक

परिशिष्ट - 17

वर्ष 2007-2008 से 2016-17 तक प्रदेश में हुए विदेशी मदिरा का उपभोग (बोतलों में)

वर्ष	एफ०एल०-2/2बी के अन्तर्गत		एफ०एल०-5/5 बी माडल षाप के अन्तर्गत	
	स्प्रिट	बीयर	स्प्रिट	बीयर
2007-2008	65335977	68871007	68752093	66721725
2008-2009	74491403	65162599	78401227	72362385
2009-2010	108092764	136314387	92626682	91532786
2010-2011	96267359	111936639	109107309	111778072

2011-2012	117338402	154452199	122161391	139591158
2012-2013	123397393	190517928	113671357	179644093
2013-2014	109116490	211030830	108007464	205199785
2014-2015	109532199	232891969	92415563	226371559
2015-2016	90280978	337350182	75497228	271644242
2016-2017	132813785	258704034	130031165	253566822

परिशिष्ट - 18

वर्ष 2007-2008 से 2016-2017 तक प्रदेश में हुए विदेशी मदिरा एफ0एल0 6/7 तथा एफ0एल0 9/9ए के उपभोग का विवरण (मात्रा बोतलों में)

वर्ष	एफ0एल0-6/7 अनुज्ञापन के अन्तर्गत		एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत		
	स्प्रिट	बीयर	स्प्रिट	बीयर	रम
2007-2008	1208518	5090824	3595214	816283	4609532
2008-2009	1216263	4927067	3693253	824279	4560400
2009-2010	1303536	5604782	4293511	1126394	5058919
2010-2011	1382851	6840190	4399372	1307254	4576740
2011-2012	1373543	7232127	4660459	1160920	4818746
2012-2013	1164703	7340669	4843297	1095167	4738782
2013-2014	1005217	6553967	5065601	809835	4694572
2014-2015	955031	6574957	5006064	984412	4298451
2015-2016	921579	8081124	5355840	932811	4776185
2016-2017	947344	5428938	4832932	743169	4185302

परिशिष्ट - 20

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में विश्लेषित नमूनों एवं अर्जित राजस्व का विवरण

क्र. सं.	नमूनों के प्रकार	वर्ष 2015-2016		वर्ष 2016-2017	
		विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु.में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)
1	आर. एस./पी.एस./ई.एन. ए आदि	2070	329760	2129	340320
2	विकारक	6625	1059360	6728	1080640
3	कलर/एसेन्स/कैरामल	135	16640	135	21600
4	ओ.डी.एस./एस.डी.एस.	328	52640	391	62560

5	बीयर	1004	150720	943	150080
6	शीरा (एफ.एस.)	1438	236800	1369	220480
7	शीरा (टी.आर.एस.)	313	0	81	320
8	विभागीय नमूने	113	1280	59	800
9	एस.डी.एस.(पूर्व/पश्चात्)	3042	1247360	2864	1235840
10	केन जूस	1	160	1	160
11	ग्रेन फ्लोर	122	19360	120	19680
12	फार्मेशियों के नमूने	2769	715360	3939	768320
	योग	17960	3829440	18759	3900800

परिशिष्ट – 21
केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में
विश्लेषित नमूने एवं अर्जित राजस्व का विवरण

वित्तीय वर्ष	मेरठ		लखनऊ		गोरखपुर		इलाहाबाद		योग	
	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)	विश्लेषित नमूने	अर्जित राजस्व (रु. में)
2014-2015	6732	1231040	2037	304960	2024	313600	6729	1534720	17522	3384320
2015-2016	8048	1332960	2303	366880	2196	336480	5413	1793120	17960	3829440
2016-2017	7349	1220800	2616	415520	2193	348000	6601	1916480	18759	3900800

परिशिष्ट – 22
स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स इकाइयों के गठन की स्थिति

क्रमांक	प्रभार/जोन	आवंटित इकाइयों का विवरण
1	मेरठ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 6 इकाइयों
2	सहारनपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 4 इकाइयों
3	मुसादाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
4	बरेली प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
5	वाराणसी प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
6	इलाहाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
7	मिर्जापुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों

8	आजमगढ़ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
9	गोरखपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
10	बस्ती प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
11	लखनऊ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
12	फैजाबाद प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
13	देवीपाटन प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 1 इकाई
14	आगरा प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
15	अलीगढ़ प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 3 इकाइयों
16	कानपुर प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
17	झांसी प्रभार	एस.एस.एफ.(ए) 2 इकाइयों
18	चित्रकूट प्रभार	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
19	मेरठ जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
20	आगरा जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
21	वाराणसी जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
22	लखनऊ जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
23	गोरखपुर जोन	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
24	ई.आई.बी.	एस.एस.एफ.(बी) 1 इकाई
	सम्पूर्ण योग	(ए) श्रेणी की 40 तथा (बी) श्रेणी की 7 इकाइयों
		-कुल 47 इकाइयों

परिशिष्ट - 23

(क) मुख्यालय/कैम्प कार्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों की ई-मेल आई डी

क्रमांक	अनुभाग अधिकारी का नाम	ई-मेल आई डी
1	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0	ट्रुक्रमब/नचमगबपेमचवतजंसण्पद
2	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ0प्र0	ट्रुक्रमककसक्रमबंकउपब/नचमगबपेमचवतजंसण्पद
3	अपर आबकारी आयुक्त, (ला0/औ0वि0) उ0प्र0	ट्रुक्रममबत्रु/नचमगबपेमचवतजंसण्पद
4	विधि परामर्शी	ट्रुक्रमसमहंस/नचमगबपेमचवतजंसण्पद
5	वित्त नियन्त्रक	ट्रुक्रमबि/नचमगबपेमचवतजंसण्पद
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	ट्रुक्रममबत्रुमपइ/नचमगबपेमचवतजंसण्पद

7	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 प्रथम	उत्क्रमबन्धमपड1 / नचमगबपेमचवतजंसणपद
8	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 द्वितीय	उत्क्रमबन्धमपड2 / नचमगबपेमचवतजंसणपद
9	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 ततीय	उत्क्रमबन्धमपड3 / नचमगबपेमचवतजंसणपद
10	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 चतुर्थ	उत्क्रमबन्धमपड4 / नचमगबपेमचवतजंसणपद
11	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 पंचम	उत्क्रमबन्धमपड5 / नचमगबपेमचवतजंसणपद
12	सहायक आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
13	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
14	उप आबकारी आयुक्त (विधि)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
15	सहायक आबकारी आयुक्त (विधि)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
16	उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
17	सहायक आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
18	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
19	तकनीकी अधिकारी, प्रथम	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
20	तकनीकी अधिकारी, द्वितीय	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
21	उप आबकारी आयुक्त (का0 / अधि0)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
22	सहायक आबकारी आयुक्त (का0 / अधि0)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
23	उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
24	उप आबकारी आयुक्त (वितरण)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
25	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
26	लेखाधिकारी	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
27	सहायक लेखाधिकारी	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
28	सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
29	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
30	संयुक्त आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
31	सहायक आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
32	कैम्प कार्यालय, आबकारी आयुक्त, लखनऊ	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
33	वैयक्तिक सहायक, कैम्प कार्यालय, आबकारी आयुक्त, लखनऊ	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
34	वैयक्तिक सहायक, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद
35	वैयक्तिक सहायक, अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ0प्र0	उत्क्रमबन्धमपड / नचमगबपेमचवतजंसणपद

36	वैयक्तिक सहायक, अपर आबकारी आयुक्त, (ला0/औ0वि0) उ0प्र0	ट्रिचंक्रककसक्रमबसपब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
37	वैयक्तिक सहायक, संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	ट्रिचंक्ररमबक्रमपइ/नचमगबपेमचवतजंसणपद
38	वैयक्तिक सहायक, वित्त नियन्त्रक	ट्रिचंक्रबि/नचमगबपेमचवतजंसणपद
39	वैयक्तिक सहायक, विधि परामर्शी	ट्रिचंक्रसमहंसक्रकअ/नचमगबपेमचवतजंसणपद

(ख) मुख्यालय के अनुभागों की ई-मेल आई डी

क्रमांक	अनुभागों का नाम	ई-मेल आई डी
1	ई0आई0बी0 अनुभाग	ट्रिचमपइक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
2	संख्यिकी अनुभाग	ट्रिचंजंजक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
3	लाइसेंस अनुभाग	ट्रिचसपबक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
4	प्राविधिक अनुभाग	ट्रिचजमबीक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
5	प्रबन्ध अनुभाग	ट्रिचमेजंइक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
6	लेखा अनुभाग	ट्रिचबबवनदजक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
7	परसनल अनुभाग	ट्रिचमतेवददंसक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
8	स्टोर अनुभाग	ट्रिचजेवतमक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
9	शीरा अनुभाग	ट्रिचैममतंक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
10	अल्कोहल अनुभाग	ट्रिचंसबीवीवसक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
11	पुस्तकालय	ट्रिचसपइतंतलक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
12	आडिट अनुभाग	ट्रिचंनकपजक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
13	केन्द्रीय प्रयोगशाला	ट्रिचबमदजतंसक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
14	टास्क फोर्स	ट्रिचजैक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
15	विधि अनुभाग	ट्रिचसूक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद
16	फैक्स/मुख्यालय मेल सेन्टर	ट्रिचट्टीउबक्रमेब/नचमगबपेमचवतजंसणपद

(ग) संयुक्त आबकारी अधिकारियों की ई-मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई-मेल आई डी
1	संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी	रमबक्रअदे/नचमगबपेमचवतजंसणपद
2	संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	रमबक्रहाच/नचमगबपेमचवतजंसणपद
3	संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ	रमबक्रसाव/नचमगबपेमचवतजंसणपद
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ	रमबक्रउतज/नचमगबपेमचवतजंसणपद
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा	रमबक्रहंत/नचमगबपेमचवतजंसणपद

(घ) उप आबकारी अधिकारियों की ई-मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई-मेल आई डी
1	उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी	कमबत्रःअदे / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
2	उप आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	कमबत्रःसक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
3	उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	कमबत्रःउत्र / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
4	उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	कमबत्रःउ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
5	उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	कमबत्रःहाच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
6	उप आबकारी आयुक्त, बस्ती	कमबत्रःइज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
7	उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ	कमबत्रःसाव / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
8	उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	कमबत्रःइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
9	उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	कमबत्रःकचह / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
10	उप आबकारी आयुक्त, बरेली	कमबत्रःइतम / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
11	उप आबकारी आयुक्त, मेरठ	कमबत्रःउतज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
12	उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	कमबत्रःउइक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
13	उप आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	कमबत्रःदौ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
14	उप आबकारी आयुक्त, आगरा	कमबत्रःहत / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
15	उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	कमबत्रःसह / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
16	उप आबकारी आयुक्त, कानपुर	कमबत्रःदच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
17	उप आबकारी आयुक्त, झांसी	कमबत्रःरीप / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
18	उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	कमबत्रःबाक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद

(ङ) जिला आबकारी अधिकारियों की ई-मेल आई डी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	ई-मेल आई डी
1	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	कमवत्रःअदे / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
2	जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली	कमवत्रःबदक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
3	जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर	कमवत्रःहच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
4	जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर	कमवत्रःरदच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
5	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	कमवत्रःसक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
6	जिला आबकारी अधिकारी, कौशाम्बी	कमवत्रःान / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
7	जिला आबकारी अधिकारी, फतेहपुर	कमवत्रःजिच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
8	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़	कमवत्रःचजच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
9	जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर,	कमवत्रःउत्र / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
10	जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र	कमवत्रःइी / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
11	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तरविदास नगर	कमवत्रःतद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
12	जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़	कमवत्रःउ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
13	जिला आबकारी अधिकारी, बलिया	कमवत्रःइंस / नचमगबपेमचवतजंसण्पद

14	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	कमवक्रुंन / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
15	जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर	कमवक्रुहाच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
16	जिला आबकारी अधिकारी, देवरिया	कमवक्रुकमं / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
17	जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज	कमवक्रुडीर / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
18	जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर	कमवक्रुदो / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
19	जिला आबकारी अधिकारी, बस्ती	कमवक्रुइज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
20	जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर	कमवक्रुकी / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
21	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तकबीर नगर	कमवक्रुदो / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
22	जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ	कमवक्रुसाव / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
23	जिला आबकारी अधिकारी, हरदोई	कमवक्रुतीतक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
24	जिला आबकारी अधिकारी, खीरी	कमवक्रुतातप / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
25	जिला आबकारी अधिकारी, रायबरेली	कमवक्रुतइल / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
26	जिला आबकारी अधिकारी, उन्नाव	कमवक्रुनदव / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
27	जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर	कमवक्रुजच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
28	जिला आबकारी अधिकारी, अमेठी	कमवक्रुबेच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
29	जिला आबकारी अधिकारी, फैजाबाद	कमवक्रुइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
30	जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी	कमवक्रुइइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
31	जिला आबकारी अधिकारी, सुल्तानपुर	कमवक्रुनच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
32	जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल	कमवक्रुइउद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
33	जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेदकर नगर	कमवक्रुइक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
34	जिला आबकारी अधिकारी, गोंडा	कमवक्रुहदक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
35	जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच	कमवक्रुइबी / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
36	जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर	कमवक्रुइतच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
37	जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती	कमवक्रुओ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
38	जिला आबकारी अधिकारी, बरेली	कमवक्रुइतम / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
39	जिला आबकारी अधिकारी, बदायूँ	कमवक्रुइक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
40	जिला आबकारी अधिकारी, पीलीभीत	कमवक्रुइची / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
41	जिला आबकारी अधिकारी, शाहजहाँपुर	कमवक्रुओच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
42	जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ	कमवक्रुउतज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
43	जिला आबकारी अधिकारी, बागपत	कमवक्रुइहज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
44	जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर	कमवक्रुइके / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
45	जिला आबकारी अधिकारी, हापुड़	कमवक्रुचबद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
46	जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद	कमवक्रुइइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
47	जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	कमवक्रुहजइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
48	जिला आबकारी अधिकारी, मुरादाबाद	कमवक्रुउइक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
49	जिला आबकारी अधिकारी, अमरोहा	कमवक्रुचद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
50	जिला आबकारी अधिकारी, रामपुर	कमवक्रुतंज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
51	जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर	कमवक्रुइपर / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
52	जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर	कमवक्रुदो / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
53	जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर	कमवक्रुछ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
54	जिला आबकारी अधिकारी, शामली	कमवक्रुचकद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद

55	जिला आबकारी अधिकारी, आगरा	कमवक्रंहत / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
56	जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद	कमवक्रद्वि / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
57	जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा	कमवक्रउजी / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
58	जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी	कमवक्रउदच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
59	जिला आबकारी अधिकारी, अलीगढ़	कमवक्रसह / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
60	जिला आबकारी अधिकारी, हाथरस	कमवक्रउदत / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
61	जिला आबकारी अधिकारी, एटा	कमवक्रमजी / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
62	जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज	कमवक्रतद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
63	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर	कमवक्रदच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
64	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात	कमवक्रतइद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
65	जिला आबकारी अधिकारी, इटावा	कमवक्रमजू / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
66	जिला आबकारी अधिकारी, औरैया	कमवक्रनत / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
67	जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद	कमवक्रकि / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
68	जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज	कमवक्रादर / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
69	जिला आबकारी अधिकारी, झाँसी	कमवक्ररेप / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
70	जिला आबकारी अधिकारी, जालौन	कमवक्ररसद / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
71	जिला आबकारी अधिकारी, ललितपुर	कमवक्रससच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
72	जिला आबकारी अधिकारी, बांदा	कमवक्रइदक / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
73	जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट	कमवक्रबाज / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
74	जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर	कमवक्रहीउच / नचमगबपेमचवतजंसण्पद
75	जिला आबकारी अधिकारी, महोबा	कमवक्रहीइ / नचमगबपेमचवतजंसण्पद

परिशिष्ट - 24

(क) मुख्यालय के अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	अनुभाग अधिकारी का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0	9454466001
2	अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन) उ0प्र0	9454466002
3	अपर आबकारी आयुक्त, (ला0/औ0वि0) उ0प्र0	9454466003
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0	9454466004
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय	9454466005
6	संयुक्त आबकारी आयुक्त, (टास्क फोर्स)	9454466006
7	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 प्रथम	9454466007
8	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 द्वितीय	9454466008
9	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 तृतीय	9454466009
10	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 चतुर्थ	9454466010
11	उप आबकारी आयुक्त (का0/अधि0)	9454466011

12	उप आबकारी आयुक्त (विधि)	9454466012
13	उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	9454466013
14	उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	9454466014
15	उप आबकारी आयुक्त (वितरण)	9454466015
16	सहायक आबकारी आयुक्त (का0/अधि0)	9454466016
17	सहायक आबकारी आयुक्त (विधि)	9454466017
18	सहायक आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)	9454466018
19	सहायक आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)	9454466019
20	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	9454466020
21	प्राविधिक अधिकारी प्रथम	9454466021
22	प्राविधिक अधिकारी द्वितीय	9454466022
23	वित्त नियंत्रक	9454466023
24	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	9454466024
25	वित्त एवं लेखाधिकारी	9454466025
26	सहायक लेखाधिकारी	9454466026

(ख) संयुक्त आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465586
2	संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465587
3	संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465588
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465589
5	संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465590

(ग) उप आबकारी अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465591
2	उप आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	9454465592
3	उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	9454465593
4	उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	9454465594
5	उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465595
6	उप आबकारी आयुक्त, बस्ती	9454465596
7	उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465597
8	उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	9454465598
9	उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	9454465599
10	उप आबकारी आयुक्त, बरेली	9454465600
11	उप आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465601

12	उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	9454465602
13	उप आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	9454465603
14	उप आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465604
15	उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	9454465605
16	उप आबकारी आयुक्त, कानपुर	9454465606
17	उप आबकारी आयुक्त, झांसी	9454465607
18	उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	9454465608
19	उप आबकारी आयुक्त, विधि, गाजियाबाद	9454465609

(घ) जिला आबकारी अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	9454465610
2	जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली	9454465611
3	जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर	9454465612
4	जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर	9454465613
5	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	9454465614
6	जिला आबकारी अधिकारी, कौशाम्बी	9454465615
7	जिला आबकारी अधिकारी, फतेहपुर	9454465616
8	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़	9454465617
9	जिला आबकारी अधिकारी, मिर्जापुर,	9454465618
10	जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र	9454465619
11	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तरविदास नगर	9454465620
12	जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़	9454465621
13	जिला आबकारी अधिकारी, बलिया	9454465622
14	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	9454465623
15	जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर	9454465624
16	जिला आबकारी अधिकारी, देवरिया	9454465625
17	जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज	9454465626
18	जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर	9454465627
19	जिला आबकारी अधिकारी, बस्ती	9454465628
20	जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर	9454465629
21	जिला आबकारी अधिकारी, सन्तकबीर नगर	9454465630
22	जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ	9454465631
23	जिला आबकारी अधिकारी, हरदोई	9454465632
24	जिला आबकारी अधिकारी, खीरी	9454465633
25	जिला आबकारी अधिकारी, रायबरेली	9454465634
26	जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर	9454465635
27	जिला आबकारी अधिकारी, उन्नाव	9454465636
28	जिला आबकारी अधिकारी, फैजाबाद	9454465637

29	जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी	9454465638
30	जिला आबकारी अधिकारी, सुल्तानपुर	9454465639
31	जिला आबकारी अधिकारी, अमेठी	9454465640
32	जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेदकर नगर	9454465641
33	जिला आबकारी अधिकारी, गोंडा	9454465642
34	जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच	9454465643
35	जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर	9454465644
36	जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती	9454465645
37	जिला आबकारी अधिकारी, बरेली	9454465646
38	जिला आबकारी अधिकारी, बदायूँ	9454465647
39	जिला आबकारी अधिकारी, पीलीभीत	9454465648
40	जिला आबकारी अधिकारी, शाहजहाँपुर	9454465649
41	जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ	9454465650
42	जिला आबकारी अधिकारी, बागपत	9454465651
43	जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर	9454465652
44	जिला आबकारी अधिकारी, हापुड़	9454465653
45	जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद	9454465653
46	जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	9454465654
47	जिला आबकारी अधिकारी, मुरादाबाद	9454465655
48	जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल	9454465655
49	जिला आबकारी अधिकारी, अमरोहा	9454465656
50	जिला आबकारी अधिकारी, रामपुर	9454465657
51	जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर	9454465658
52	जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर	9454465659
53	जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर	9454465660
54	जिला आबकारी अधिकारी, शामली	9454465660
55	जिला आबकारी अधिकारी, आगरा	9454465661
56	जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद	9454465662
57	जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा	9454465663
58	जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी	9454465664
59	जिला आबकारी अधिकारी, अलीगढ़	9454465665
60	जिला आबकारी अधिकारी, हाथरस	9454465667
61	जिला आबकारी अधिकारी, एटा	9454465668
62	जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज	9454465669
63	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर	9454465670
64	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात	9454465671
65	जिला आबकारी अधिकारी, इटावा	9454465672
66	जिला आबकारी अधिकारी, औरैया	9454465673

67	जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद	9454465674
68	जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज	9454465675
69	जिला आबकारी अधिकारी, झाँसी	9454465676
70	जिला आबकारी अधिकारी, जालौन	9454465677
71	जिला आबकारी अधिकारी, ललितपुर	9454465678
72	जिला आबकारी अधिकारी, बांदा	9454465679
73	जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट	9454465680
74	जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर	9454465681
75	जिला आबकारी अधिकारी, महोबा	9454465682

(ङ) सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन के अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त, वाराणसी	9454465683
2	सहायक आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद	9454465684
3	सहायक आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर	9454465685
4	सहायक आबकारी आयुक्त, आजमगढ़	9454465686
5	सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर	9454465687
6	सहायक आबकारी आयुक्त, बस्ती	9454465688
7	सहायक आबकारी आयुक्त, लखनऊ	9454465689
8	सहायक आबकारी आयुक्त, फैजाबाद	9454465690
9	सहायक आबकारी आयुक्त, देवीपाटन	9454465691
10	सहायक आबकारी आयुक्त, बरेली	9454465692
11	सहायक आबकारी आयुक्त, मेरठ	9454465693
12	सहायक आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद	9454465694
13	सहायक आबकारी आयुक्त, सहारनपुर	9454465695
14	सहायक आबकारी आयुक्त, आगरा	9454465696
15	सहायक आबकारी आयुक्त, अलीगढ़	9454465697
16	सहायक आबकारी आयुक्त, कानपुर	9454465698
17	सहायक आबकारी आयुक्त, झाँसी	9454465699
18	सहायक आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम	9454465700

(च) सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के अधिकारियों के सी०यू०जी० नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	आसवनी का नाम	सी०यू०जी० नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त	नेशनल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद	9454465725
2	सहायक आबकारी आयुक्त	दौराला आसवनी, मेरठ	9454465712

3	सहायक आबकारी आयुक्त	हरगांव आसवनी, सीतापुर	9454465708
4	सहायक आबकारी आयुक्त	रामपुर आसवनी, रामपुर	9454465727
5	सहायक आबकारी आयुक्त	शामली आसवनी, शामली	9454465721
6	सहायक आबकारी आयुक्त	कप्तानगंज आसवनी, कुशीनगर	9454465703
7	सहायक आबकारी आयुक्त	सराया आसवनी, गोरखपुर	9454465702
8	सहायक आबकारी आयुक्त	केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बरेली	9454465722
9	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहन मीकिन आसवनी, लखनऊ	9454465706
10	सहायक आबकारी आयुक्त	को-आपरेटिव कं0 लि0, सहारनपुर	9454465717
11	सहायक आबकारी आयुक्त	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, मेरठ	9454465711
12	सहायक आबकारी आयुक्त	गोला आसवनी खीरी	9454465709
13	सहायक आबकारी आयुक्त	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	9454465718
14	सहायक आबकारी आयुक्त	स्यौहारा आसवनी, बिजनौर	9454465728
15	सहायक आबकारी आयुक्त	सिम्भौली आसवनी, हापुड़	9454465714
16	सहायक आबकारी आयुक्त	नारंग आसवनी, गोण्डा	9454465704
17	सहायक आबकारी आयुक्त	मंसूरपुर आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर	9454465719
18	सहायक आबकारी आयुक्त	मोदी आसवनी, गाजियाबाद	9454465713
19	सहायक आबकारी आयुक्त	उन्नाव डिस्टिलरी, उन्नाव	9454465707
20	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहन मीकिन आसवनी, गाजियाबाद	9454465716
21	सहायक आबकारी आयुक्त	यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, रोजा, शाहजहाँपुर	9454465724
22	सहायक आबकारी आयुक्त	लार्डस आसवनी, गाजीपुर	9454465701
23	सहायक आबकारी आयुक्त	जुबिलैण्ट आर्गनोसिस, अमरोहा	9454465726
24	सहायक आबकारी आयुक्त	मझोला आसवनी, पीलीभीत	9454465723
25	सहायक आबकारी आयुक्त	ननौता आसवनी, सहारनपुर	9454465720
26	सहायक आबकारी आयुक्त	अनूपशहर आसवनी, बुलन्दशहर	9454465715
27	सहायक आबकारी आयुक्त	नानपारा आसवनी, बहराइच	9454465705
28	सहायक आबकारी आयुक्त	कायमगंज आसवनी, फर्रुखाबाद	9454465710
29	सहायक आबकारी आयुक्त	सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली	9454466991
30	सहायक आबकारी आयुक्त	धामपुर आसवनी, बिजनौर	9454467012
31	सहायक आबकारी आयुक्त	सम्पूर्णनगर आसवनी, खीरी	9454467006
32	सहायक आबकारी आयुक्त	घोषी आसवनी, मऊ	9454467001
33	सहायक आबकारी आयुक्त	बलरामपुर आसवनी, बलरामपुर	9454467003
34	सहायक आबकारी आयुक्त	के0एम0 शुगर मिल्स लि0, फैजाबाद	9454466983
35	सहायक आबकारी आयुक्त	नीबी स्टील्स लि0, मऊ	9454466998
36	सहायक आबकारी आयुक्त	टिकौला आसवनी, मुजफ्फरनगर	9454466994
37	सहायक आबकारी आयुक्त	बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट-बभनान, गोण्डा	9454467010
38	सहायक आबकारी आयुक्त	पलिया आसवनी, खीरी	9454466980
39	सहायक आबकारी आयुक्त	मोहित पेट्रो केमिकल्स लि0, बिजनौर	9454466996

40	सहायक आबकारी आयुक्त	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	9454466993
41	सहायक आबकारी आयुक्त	द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, बिजनौर	9454466997
42	सहायक आबकारी आयुक्त	किनौनी आसवनी, मेरठ	9454466981
43	सहायक आबकारी आयुक्त	आई0जी0एल0, गोरखपुर	9454467007
44	सहायक आबकारी आयुक्त	चिलवरिया आसवनी, बहराइच	9454466987
45	सहायक आबकारी आयुक्त	गांगनौली आसवनी, सहारनपुर	9454466988
46	सहायक आबकारी आयुक्त	खम्भारखेड़ा आसवनी, खीरी	9454466984
47	सहायक आबकारी आयुक्त	त्रिवेणी आसवनी, मुजफ्फरनगर	9454467008
48	सहायक आबकारी आयुक्त	मनकापुर आसवनी, गोण्डा	9454466989
49	सहायक आबकारी आयुक्त	डालमिया आसवनी, सीतापुर	9454466985
50	सहायक आबकारी आयुक्त	रुदौली आसवनी, बस्ती	9454467009
51	सहायक आबकारी आयुक्त	नगलामल आसवनी, मेरठ	9454466982
52	सहायक आबकारी आयुक्त	बिसवां आसवनी, सीतापुर	9454466986
53	सहायक आबकारी आयुक्त	जैन डिस्टिलरी, बिजनौर	9454467002
54	सहायक आबकारी आयुक्त	असमौली डिस्टिलरी, मुरादाबाद	9454466995
55	सहायक आबकारी आयुक्त	रेडिको खेतान लि0 (यूनिट ग्रेन स्ट्रिट प्लान्ट), रामपुर	9454465727
56	सहायक आबकारी आयुक्त	बृजनाथपुर (सिम्भावली), गाजियाबाद	9454466979
57	सहायक आबकारी आयुक्त	यू0 वायो केमिकल्स, अलीगढ़	9454466992
58	सहायक आबकारी आयुक्त	मानव ब्रिवरीज लि0, गाजियाबाद	9454467005
59	सहायक आबकारी आयुक्त	भोजपुरा आसवनी, गाजियाबाद	9454466940
60	सहायक आबकारी आयुक्त	स्काल ब्रिवरीज, मेरठ	9454467004

(छ) सहायक आबकारी आयुक्त, एस0एस0एफ0 के अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर

क्रमांक	कार्यालय का नाम	एस0एस0एफ0 इकाई का नाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मेरठ प्रभार-1	9454466942
2	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मेरठ प्रभार-2	9454466944
3	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) मेरठ, जोन	9454466947
4	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) सहारनपुर प्रभार-1	9454466943
5	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) सहारनपुर प्रभार-2	9454466945
6	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) बरेली प्रभार	9454466946
7	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मुरादाबाद प्रभार	9454466948
8	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) वाराणसी प्रभार	9454466949
9	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) वाराणसी जोन	9454466964

10	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) बस्ती प्रभार	9454466950
11	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) इलाहाबाद प्रभार	9454466951
12	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) कानपुर प्रभार	9454466952
13	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) गोरखपुर प्रभार	9454466953
14	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) देवीपाटन प्रभार	9454466954
15	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) मिर्जापुर प्रभार	9454466955
16	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) लखनऊ प्रभार	9454466956
17	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) लखनऊ जोन	9454466965
18	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) फैजाबाद प्रभार	9454466957
19	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) आगरा प्रभार	9454466958
20	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) आगरा जोन	9454466959
21	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) अलीगढ़ प्रभार	9454466960
22	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) झांसी प्रभार	9454466961
23	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) चित्रकूटधाम प्रभार	9454466962
24	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(ए) आजमगढ़ प्रभार	9454466966
25	सहायक आबकारी आयुक्त	एस.एस.एफ.(बी) गोरखपुर जोन	9454466963